# श्रम संगम

वर्ष: 8, अंक: 2

जुलाई–दिसंबर 2022

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

## लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

## अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

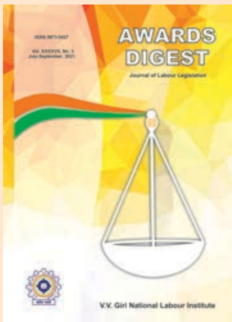


अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

## श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

**चंदे की दरः** लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

**प्रकाशन प्रभारी**
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश

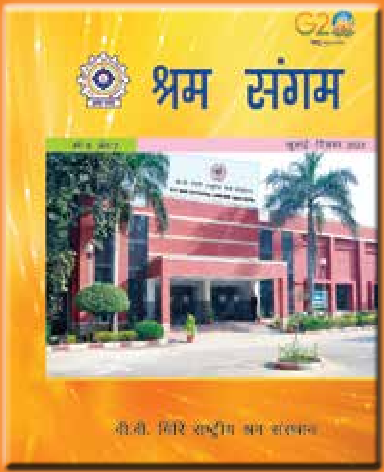



# श्रम संगम

वर्षः 8, अंकः 2, जुलाई-दिसंबर 2022



**मुख्य संरक्षक**
श्री अमित निर्मल
महानिदेशक

**संपादक मंडल**
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी



**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान**
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित



**पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।**



**मुद्रणः चन्दु प्रेस**
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092


## अनुक्रमणिका


| | |
|---|---|
| महानिदेशक की कलम से | ii |
| नोबेल पुरस्कार विजेताः वेंकटरमन रामकृष्णन – डॉ. संजय उपाध्याय | 1 |
| प्यारा देश अपना (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत | 3 |
| वैश्विक हिंदी का स्वरूप और विश्व में हिंदी – राकेश कुमार | 4 |
| एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता – राजेश कुमार कर्ण | 7 |
| प्रमुख स्वतंत्रता सेनानीः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक – बीरेन्द्र सिंह रावत | 11 |
| वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2022 का आयोजन | 14 |
| कुर्सियाँ (कविता) – राकेश कुमार | 15 |
| एक मोमबत्ती हम भी जलाएँ (कविता) – श्याम कुमार | 15 |
| जब तुम उठी.......प्रेरक अंतरात्मा (कविता) –डॉ. एलीना सामंतराय | 16 |
| एजेंडे में जल, जीवन और जलवायु परिवर्तन – राजेश कुमार कर्ण | 17 |
| कार्यालय में अपनापन होता है (कविता) – रुचिका चौहान | 21 |
| हमारा राष्ट्रीय पुष्पः कमल – गीता अरोड़ा | 22 |
| सदाचार का ताबीज (कहानी) – हरिशंकर परसाई | 24 |
| प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारीः भीकाजी कामा – सुधा वोहरा | 26 |
| वैश्विक लोकतंत्र में सत्ता लोलुपता से बढ़ती अनैतिकता – बीरेन्द्र सिंह रावत | 28 |
| अमृत काल में भारत के लिए अवसर एवं चुनातियाँ – राजेश कुमार कर्ण | 33 |
| वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन | 42 |

# महानिदेशक की कलम से...

भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ की संस्कृति, वेश–भूषा, खान–पान, रहन–सहन, बोली–भाषा एवं विचारों आदि में भिन्नता है। हमारे देश की भाषायी विविधता एवं बहुआयामी संस्कृति के बावजूद इसे एक सूत्र में बाँधे रखने में हिंदी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यहाँ, यह और भी उल्लेखनीय है कि हिंदी की आवाज पहले अहिंदी प्रांतों से उठी। अगर हम हिंदी की विकास यात्रा पर गौर करें तो यह पाते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का विचार सबसे पहले प्रसिद्ध गुजराती कवि व विद्वान वक्ता नर्मद (मूल नाम – नर्मदाशंकर लालशंकर दवे) ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रखा था। उनके महान कार्यों को सम्मान देने और राजभाषा हिंदी के अखिल भारतीय प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 14–15 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत, गुजरात में आयोजित किया गया।

राजभाषा हिंदी, जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अतः सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक काम हिंदी में हो। सरकारी कर्मचारी होने के साथ–साथ भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम सबका यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने कार्यलयीन कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों से हिंदी के कार्यलयीन प्रयोग में दिनोंदिन वृद्धि होगी।

संस्थान की राजभाषा पत्रिका 'श्रम संगम' की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

**(अमित निर्मल)**

# नोबेल पुरस्कार विजेताः वेंकटरमन रामकृष्णन

**डॉ. संजय उपाधयाय***

विज्ञान के क्षेत्र में अप्रतिम स्थान रखने वाले और अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से मानवता की सतत सेवा कर रहे भारतीय मूल के ब्रिटिश–अमेरिकी वैज्ञानिक (स्ट्रक्चरल बायोलोजिस्ट) वेंकटरमन रामकृष्णन जी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2009 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस ए. स्टेट्ज और इजरायल की वैज्ञानिक अदा ई. योनथ के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। वेंकटरमन जी की महती गाथा संसार के उस हर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के सामने है जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। उनका जीवन और योगदान उस हर युवक के सामने एक मिसाल है जो अपनी आंखों में भविष्य के सपने सजाए हुए है। यह इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण है कि अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी आसानी से हर मुश्किल को पार कर मंजिल तक पहुंच सकता है।

## आरंभिक जीवन

वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म वर्ष 1952 में एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था। तमिलनाडु के कुड्डालूर जिले के चिदंबरम नामक स्थान पर जन्मे वेंकटरमन रामकृष्णन के पिता सी. वी. रामकृष्णन वैज्ञानिक और माता राजलक्ष्मी मनोविज्ञानी थीं। उनके पिता बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में जैव रसायन विभाग के प्रमुख थे। बचपन से ही वेंकटरमन जी की प्रतिभा की झलक साफ तौर पर दिखने लगी थी। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति के स्वामी वेंकटरमन खेलों में भी अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करके अपने साथियों को चमत्कृत कर देते थे। खेलों में भी बालक वेंकटरमन बालसुलभ खेलों की बजाय बुद्धि और ज्ञान विज्ञान पर आधारित खेलों को ही अधिक महत्व देते थे। कुल मिलाकर यदि कहा जाये कि बचपन से ही उनके अंदर एक वैज्ञानिक बनने का गुण प्रकट होने लगा था तो यह गलत नहीं होगा।

## प्रारंभिक व उच्च शिक्षा

नौ साल की उम्र में वेंकटरमन जी अपने पिता के पास वडोदरा आ गये थे। वहां से उनके पिता ने उन्हें प्रारंभिक विज्ञान के अध्ययन के लिए 1960–61 में एडीलेड, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। परंतु उनका मन ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा और मात्र एक साल के अंदर ही वे भारत वापस लौट आए। इस उम्र में भी वेंकटरमन जी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अगर उन्हें एक लंबे और महत्वपूर्ण जीवन संघर्ष का हिस्सा बनना है तो उन्हें थोडा बहुत ही सही अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। अपने इन विचारों के क्रियान्वयन के लिए वेंकटरमन जी ने अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए अत्यंत परिश्रम करके नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप प्राप्त की। अन्नामलाई विश्वविद्यालय से पढ़ाई शुरू करने वाले वेंकटरमन जी ने वर्ष 1971 में वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के तत्काल बाद ही वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में ओहियो यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिजिक्स में पी.एच.डी. की। वर्ष 1976 में पी.एच.डी. पूरी हो जाने के बाद वेंकटरमन जी ने कुल दो वर्षों तक कैलिफोर्निया तथा सैन डियोगो यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई की। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि भौतिक विज्ञान से पी.एच.डी करने वाले वेंकटरमन का रूख सैद्धांतिक भौतिकी से जीव विज्ञान की तरफ मुड़ा। उन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन किया और अंततः उन्हें विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान **नोबेल पुरस्कार** रसायन विज्ञान में प्राप्त हुआ।

वेंकटरमन जी के नोबेल पुरस्कार तक का यह सफर अत्यंत ही रोमांचक और बिल्कुल किसी ऐसे सफर की भांति है जिसके राही को यह पता न हो कि अंततः उसे अपनी मंजिल किस रूप में और कहाँ तक पानी है। वेंकटरमन जी शुरुआत में भौतिक विज्ञान के छात्र थे। भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों और तथ्यों का आंकलन करते–करते वे जीवन जगत के सूक्ष्म रहस्यों को समझने और उसके मौलिक रूप तक पहुंचने के लिए जिज्ञासु हो उठे। जीव विज्ञान का अध्ययन करते हुए उन्हें जीवन के मौलिक रहस्यों और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ज्ञात करने की जिज्ञासा हुई और वे जैविक रसायन विज्ञान के अध्ययन के प्रति तत्पर हुए। भले ही देखने में हमें तीनों विज्ञानों में पारस्परिक अंतर का बोध होता हो परंतु मूल रूप से ये तीनों ही विज्ञान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेंकटरमन जी का अध्ययन है। उन्होंने अपने इस क्रमबद्ध अध्ययन से यह प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में एक वैज्ञानिक के लिए विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र आपस में पूर्ण रूप से सम्बद्ध है।

## निजी जीवन

जब वेंकटरमन जी जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे तभी उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। इसी दौरान उनका मन बेरा रोजनबेरी, जो बच्चों की प्रसिद्ध कहानीकार हैं, से जुड़ने लगा था। रोजनबेरी रामकृष्णन की भावनाओं को भलीभांति महसूस करती थीं। वेंकटरमन जी को भी

** सीनियर फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

रोजनबेरी की अद्भुत कल्पनाशीलता एवं उनकी भावनाओं से बेहद लगाव था। एक–दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझने और उन्हें अनुभूत करने के बाद अंततः दोनों ने वैवाहिक बंधन में बंधकर जीवनभर साथ रहने का निश्चय किया। अपने इस निश्चय के बाद अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। उनका बेटा रमन और बहू मेलिसा रियरडान संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं।

## शोधकार्य

अपने दोस्तों में प्यार से 'वेंकी' कहे जाने वाले वेंकटरमन जी ने अपने कैरियर की शुरूआत राइबोसोम्स की संरचना एवं कार्य प्रणाली के अध्ययन से शुरू की। वे येल यूनिवर्सिटी में अपने एक परम मित्र पीटर मूर के साथ राइबोसोम्स के अध्ययन में पूरी तरह जुट गए।

राइबोसोम मूल रूप से प्रत्येक कोशिका में निहित एक बहुत छोटा कण होता है जिसकी लम्बाई कोशिका में कुल 20 नैनो मीटर के बराबर होती है। यह DNA में आनुवंशिक गुणों के संवाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। यह शरीर में रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करता है तथा ऐसे रासायनिक तत्वों का निर्माण करता है जो इस नियंत्रण में सहायता करते है। राइबोसोम कई अलग तरह के रूपों में तथा कई तरह के अलग कार्यों में निरत भी पाया जाता है।

शरीर के सारे तत्व इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करके उसे शरीर में स्थित प्रोटीन तक पहुंचाता है। किसी भी प्रकार के इंफेक्शन के विरूद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में हीमोग्लोबिन की यही प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे शरीर में विद्यमान सभी प्रकार के हार्मोन्स जैसे कि इन्सुलिन इसी रासायनिक प्रक्रिया से जुड़े होते है। एंजाइमों के माध्यम से शरीर भोजन से इन सभी प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करता है।

हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए यह खोज अत्यंत रहस्यमय रही है कि किस प्रकार वास्तव में एक कोशिका के अंदर इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। DNA एवं RNA (डिआक्सी न्यूक्लिक एसिड एवं राइबोन्यूक्लिक एसिड) की खोज होने के बाद यह तो सिद्ध हो चुका था कि राइबोसोम इनके नाभिक में एक छोटा प्रोटीन कण है, परंतु इसकी कार्य पद्धति क्या है और यह किस प्रकार आणविक संकेतों को भौतिक अणुओं में तब्दील कर देता है, यह हमेशा से अस्पष्ट रहा था।

वेंकटरमन जी ने एक स्टाफ साइंटिस्ट के तौर पर ब्रूकहैवन नेशनल लैबोरेट्री में राइबोसोम की इस धुंधली तस्वीर को स्पष्ट करने का काम शुरू कर दिया। 1995 में वे ब्रूकहैवन को छोड़कर उटाह यूनिवर्सिटी में एक बायोकेमिक प्रोफेसर बनकर आए। इस दौरान उन्होंने राइबोसोम की इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए अपना समय लगाना शुरू कर दिया। उटाह यूनिवर्सिटी में लगभग चार साल काम करने के बाद वे मेडिकल रिसर्च कांउसिल लैबोरेट्री ऑफ मोलिक्यूलर बायोलॉजी, कैंम्बिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड आ गए।

वर्ष 1999 में वेंकटरमन जी की प्रयोगशाला ने राइबोसोम की 305 उप इकाइयों के 5.5 एंगस्ट्रोम के परिक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित की। 26 अगस्त 2000 को उनकी प्रयोगशाला ने राइबोसोम्स की 305 उप इकाई (Sub Unit) की सम्पूर्ण परमाणुविक बनावट का खुलासा पहली बार नेचर पत्रिका में किया। अपने इस प्रयोग में उन्होंने प्रतिरोधात्मक (एंटीबायोटिक) मिश्रणों का राइबोसोम्स के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र भी किया।

उनके इस अध्ययन के परिणामस्वरूप दुनिया को राइबोसोम्स की सम्पूर्ण आंतरिक संरचना का ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिसने प्रोटीन बायोसिन्थेसिस के पुनर्उत्पादन को पूरी तरह से प्रमाणित किया। जीवन की इस रहस्यमय कुंजी की तलाश में वेंकटरमन जी ने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी तकनीक का प्रयोग कर पहले राइबोसोम्स का एक त्रिआयामी चित्र लिया और पुनः उसे सम्पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर दिया। हाल ही में उनकी प्रयोगशाला द्वारा सम्पूर्ण राइबोसोम्स का परमाणुविक मॉडल एवं उसके RNA और mRNA की जटिल प्रक्रियाओं का भी खुलासा किया गया है। वेंकटरमन जी हिस्टोन और क्रीमोटिन पर किए गए अपने पूर्व के कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं।

## सामाजिक जीवन पर राइबोसोम्स विषयक खोज का प्रभाव

राइबोसोम्स जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। शरीर में होने वाले कई प्रकार के रोगों एवं हार्मोन्स विचलन के लिए राइबोसोम्स जिम्मेदार है। शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग कारक विषाणु सर्वप्रथम राइबोसोम्स को ही अपना निशाना बनाते है। राइबोसोम्स के उन विषाणुओं द्वारा प्रभावित होते ही शरीर अपने आप उस रोग से प्रभावित हो जाता है। राइबोसोम्स विषयक यह ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले इन रोगाणुओं के विरुद्ध कारगर प्रतिरोधक का विकास सम्भव हो गया है। अभी तक इस संबंध में जो प्रतिरोधात्मक दवाइयां विकसित की गई थीं, वह उतना कारगर इसलिए नहीं होती थीं कि राइबोसोम्स का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान न होने के कारण दवाओं का सही चयन मुश्किल होता था। वेंकटरमन जी के इस प्रयोग के बाद अब यह पूरी तरह से आसान हो जाएगा। इस खोज के बाद बड़ी ही आसानी से विषाणुओं की राइबोसोम्स में क्रिया बंद करके उन्हें निष्क्रिय बनाया जा सकेगा जिसका परिणाम यह होगा कि यह विषाणु स्वयं मर जाएंगे।

## पुरस्कार व सम्मान

वेंकटरमन जी प्रतिष्ठित रॉयल सोसायटी के फेलो हैं, यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के सदस्य हैं। साथ ही, वे यू.एस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और ट्रिनिटी

कॉलेज ऑफ कैमिस्ट्री के फेलो हैं। 2007 में उन्हें लुईस जीनटेट प्राइज फॉर मेडिसिन से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में गोएथ यूनिवर्सिटी फैंकफुर्त द्वारा राल्फ सैमेट प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया। 09 सितंबर 2009 को राइबोसोम्स की खोज के लिए उन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस ए. स्टेट्ज और इजरायल की वैज्ञानिक अदा ई. योनथ के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2012 में मोलेक्यूलर बायोलॉजी में सेवा के लिए नाइट बैचलर (नाइटहुड) की उपाधि से नवाजा गया। उनके अनेकों लेख और शोध नेचर मैगजीन सहित अनेकों पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं।

हाल ही में उन्होंने दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक व्याख्यान के दौरान यह विचार रखे कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपदा उसके नवाचारों और ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में उसके योगदान पर निर्भर करती है। विज्ञान और इस पर होने वाले व्यय को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया एक बहुत कम समय में कोविड–19 के विरुद्ध वैक्सीन इसलिए विकसित कर पाई क्योंकि इस दिशा में काफी कुछ वैज्ञानिक ज्ञान काफी पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। साथ ही, उन्होंने यह विचार रखे कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक होता है कि विज्ञान को राजनीति से दूर रखा जाए और युवा वैज्ञानिकों के लिए धन की कमी आड़े न आए जिससे कि वे निश्चिंत होकर नौकरशाही के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपना ध्यान शोध पर केन्द्रित करते हुए अपना योगदान कर सकें।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# प्यारा देश अपना

**बीरेन्द्र सिंह रावत**

जय हो प्यारा देश अपना, जय हो गणतंत्र ।
जय हो प्यारा देश अपना, जय हो गणतंत्र ।।

सात समुंदर पार से अंग्रेज, व्यापार करने आए,
देख बंटा समाज यहाँ वे, फूले न समाए।
राजशाही के पिट्ठू वे, करने लगे षड़यंत्र
जय हो.............

कुटिल चाल से राजाओं को, वे लगने लगे लड़वाने,
सफल रहे इस नीति में अपनी, राज्यों को हथियाने।
फूट डालने की रीति रही, उनका पहला मंत्र ।।
जय हो.............

सत्ता की सीमा के संग, जुल्म लगे थे बढ़ने,
स्वाभिमानी जन मजबूत, संगठन लगे करने।
आजादी पाने का क्या हो, सबसे अच्छा यंत्र ।।
जय हो.............

सन सत्तावन से जलने लगी, स्व की इक चिनगारी,
आजादी के रण में, कूदने लगे नर–नारी।
माँ भारती के सपूत वे, करने लगे सब तंत्र ।।
जय हो.............

90 वर्ष चला आंदोलन, आखिर वह तिथि आई,
15 अगस्त सैंतालीस को, आजादी यह पाई।
सबको है नमन, फिर आया गणतंत्र ।।
जय हो.............

मिले कई अधिकार हमें, समता का है पहला,
संग–संग आगे बढ़ें सब, रहे न कोई नहला।
प्रगति पथ का है यह, सबसे अच्छा मंत्र ।।
जय हो.............

सूचना अरु शिक्षा के हमें, मिले नए अधिकार,
पारदर्शी कार्य हुए, हुआ वंचितों का उत्थान।
जनमानस के हित में, कार्य करे गणतंत्र ।।
जय हो.............

दौर ऐसे भी आए जब, कदम दिखे डगमगाते,
सामूहिक प्रयासों से ही, पार इनसे हम पाए।
हर दौर में हमने देखा, ठोस हुआ गणतंत्र ।।
जय हो.............

एकता की शक्ति को, अच्छे से हम जानें,
सामाजिक समरसता, राष्ट्र–धर्म अपनावें।
विश्व गुरु बनने का, यही है इक मंत्र ।।
जय हो.............

जय हो प्यारा देश अपना, जय हो गणतंत्र।
जय हो प्यारा देश अपना, जय हो गणतंत्र ।।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

# वैश्विक हिंदी का स्वरूप और विश्व में हिंदी

राकेश कुमार*

12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में होने जा रहा है और इसकी तैयारियां जोर–शोर से चल भी रही हैं। 'विश्व हिंदी सम्मेलन' की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा की गई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के ही तत्त्वावधान में तीन–दिवसीय प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन चूंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया, इसीलिए आगे चलकर प्रतिवर्ष 'विश्व हिंदी दिवस' मनाने के लिए 10 जनवरी की तिथि सुनिश्चित कर दी गई।

पहली बार, विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। सम्मेलन के दौरान जो प्रश्न उठाए गए थे, वे आज 46 साल बाद भी देश के सामने जस के तस खड़े हैं। अब तक कुल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन, भारत समेत, दुनिया के कई देशों में सम्पन्न किए जा चुके हैं लेकिन इन सम्मेलनों का वास्तविक नतीजा क्या रहा है, यह सर्वविदित है।

विश्व हिंदी सम्मेलनों का उद्देश्य, पहले सम्मेलन में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति में हिंदी को किस प्रकार सेवा का साधन बनाना है। हिंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाकर विश्वभाषा के रूप में समस्त मानवजाति की सेवा की ओर अग्रसर हो। साथ ही हिंदी किस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुंबकम' विश्व के समक्ष प्रस्तुत करके 'एक विश्व, एक मानव–परिवार' की भावना का संचार करे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किसी सामाजिक या राजनीतिक प्रश्न अथवा संकट को लेकर नहीं, बल्कि हिंदी भाषा तथा साहित्य की प्रगति और प्रसार से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार के लिए भी आयोजित किया गया था।

'विश्व हिंदी दिवस' मनाए जाने के पीछे 'विश्व हिंदी सम्मेलनों' की भूमिका रही है। 1975 से 'विश्व हिंदी सम्मेलनों' का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ। दूसरा सम्मेलन 1976 में मॉरीशस में। फिर सात वर्ष के अंतराल के बाद 1983 में नई दिल्ली में तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। चौथा इसके दस साल बाद 1993 में पुनः मॉरीशस में हुआ। पांचवां सम्मेलन 1996 में त्रिनिदाद में, छठा सम्मेलन 1999 में लंदन में, सातवां सम्मेलन 2003 में सूरीनाम में आयोजित किया गया। आठवां सम्मेलन, 2007 में न्यूयार्क में, नवां सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग में हुआ और दसवां सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ। ग्यारहवां सम्मेलन, 2018 में मॉरीशस में और अब 12वां सम्मेलन फिजी में करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2003 में सूरीनाम में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में कई साहित्यकार, पत्रकार और सांसदों के समर्थन से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा मान्य करवाने का प्रस्ताव पारित करवाया गया लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। श्रीमती सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री बनीं तो उन्होंने भरसक प्रयत्न किया लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी अभी तक मान्य नहीं हुई है लेकिन वे छह भाषाएं वहां मान्य हैं, जिनके बोलनेवालों की संख्या दुनिया के हिंदी भाषियों की तुलना में बहुत कम है।

चीनी भाषा (मंदारिन) के बोलनेवालों की संख्या, विश्व के हिंदी भाषियों के मुकाबले काफी कम है। यदि संयुक्त राष्ट्र में अरबी, अंग्रेजी, हिस्पानी, रूसी, फ्रांसीसी और चीनी मान्य हो सकती हैं तो हिंदी को तो उनसे भी पहले मान्य होना चाहिए था। जब हमारी सरकार और नौकरशाही ने ही भारत में ही हिंदी को नौकरानी बना रखा है तो इसे विश्वमंच पर महारानियों के बीच कौन बिठाएगा? हम महाशक्तियों की तरह सुरक्षा परिषद में घुसने के लिए बेताब हैं लेकिन पहले उनकी भाषाओं के बराबर रुतबा तो हम हासिल करें। यह सराहनीय है कि अटल जी और नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण हिंदी में दिए। इससे हम सभी हिंदी भाषी थोड़े समय के लिए गदगद और गौरवान्वित तो हुए लेकिन उसके बाद क्या हुआ। हिंदी आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) की आधिकारिक भाषा बनने में सफल नहीं हो सकी है।

संस्कृत की पुत्री होने और दर्जनों एशियाई भाषाओं के साथ घुलने–मिलने के कारण हिंदी का शब्द–भंडार दुनिया

** निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ अतिथि संकाय, ईएसआईसी के राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पदोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण (05–13 दिसंबर 2022)*

में सबसे बड़ा है। यदि हिंदी, संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाए तो वह दुनिया की सभी भाषाओं को अपने शब्द–भंडार से भर देगी। यदि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलेगी तो भारत से अंग्रेजी की गुलामी भी घटेगी। उसका फायदा यह होगा कि दुनिया के चार–पांच अंग्रेजी भाषी देशों के अलावा सभी देशों के साथ व्यापार और कूटनीति में हमारा सीधा संवाद कायम हो सकेगा।

हिंदी भारत की मुख्यभाषा होने के साथ–साथ, इस देश के सरकारी तंत्र की राजभाषा भी है। सदियों से इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता आ रहा है। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में भी हिंदी और हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा रही है। धीरे–धीरे इसने संस्कृत, उर्दू और अन्य भाषाओं की मदद से एक बड़ा शब्द भंडार जुटा लिया है जिससे न केवल साहित्यिक प्रयोजनों के लिए बल्कि कामकाजी प्रयोजनों और उच्च शिक्षा तक में इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह और बात है कि इसका प्रयोग जितना आम बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में है, उतना शासन–प्रशासन की भाषा के रूप में नहीं। पूरी दुनिया में हिंदी को बचाए रखने व उसे संवर्धित करने का काम विश्व भर में फैले हिंदी भाषी, प्रवासी, और भारतवंशी कर रहे हैं।

हमारे यहां संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। तब से भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश में हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए अनेक स्तरों पर प्रयत्न किए गए हैं। संविधान में राजभाषा नीति के प्रावधानों के अलावा राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 एवं समय–समय पर दिए गए राष्ट्रपति के आदेशों के कार्यान्वयन एवं संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों एवं तदुपरांत पारित आदेशों और संकल्पों से हिंदी की कामकाजी स्थिति में सुधार तो आया है, किन्तु आज भी सरकारी हिंदी, अनुवाद पर टिकी है और मूल रूप से हिंदी में कार्य करने की संस्कृति अभी तैयार की जानी है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक तकनीक ने भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाते हुए अपना सहयोग किया है। हिंदी लिखने में सरलता और सुगमता बनी रहे, इसके लिए कम्प्यूटर और इन्टरनेट पर हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। मंगल, निर्मला, अपराजिता, उत्साह, कोकिला जैसे अनेक फोंट यूनीकोड ने उपलब्ध कराए हैं तथा टाइपिंग प्लेटफार्म पर इन्स्क्रिप्ट, रेमिंग्टन, हिंदी टाइपराइटर, ट्रांसलिटरेशन, हिंदी वेबदुनिया की–बोर्ड, हिंदी आंग्ल देवनागरी आदि माध्यम उपलबध हैं। गूगल ने वाइस टाइपिंग की सुविधा देकर बोल कर हिंदी लिखवाने की पद्धति की शुरूआत की है जिसका पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न भाषाओं से हिंदी और विलोमतः अनुवाद का माध्यम भी गूगल एवं भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग ने आसान किया है।

हम अक्सर कहते हुए नहीं थकते कि हमारा हाथ हिंदी में तंग रहता है। जबकि वास्तविकता यह है कि हमारा हाथ अंग्रेजी में उससे भी ज्यादा तंग रहता है किन्तु हम यह कभी स्वीकार नहीं करते। अंग्रेजियत हमारे रहन–सहन और बोलचाल में छाई हुई रहती है। इसका समाधान क्या है? शायद कहीं न कहीं हममें सच्ची राष्ट्रीयता बोध की कमी है और भाषा के प्रति गंभीरता और आत्मसम्मान हममें है ही नहीं। हम अपनी संस्कृति, रहन–सहन और भाषा की ओर से विमुख हो रहे हैं। जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक देश में हिंदी को मन से अपनाने का कार्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। विश्व हिंदी दिवस यह याद दिलाने के लिए है कि हिंदी, विश्व की मान्य भाषा बने तथा भारत का मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा उठे।

डॉ ओम निश्चल ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक "भाषा की खादी" में हिंदी, हिन्दुस्तानी और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा के योगदान पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने उल्लेख किया है कि– हिंदी, हिंदुस्तानी के प्रयोग व प्रचार–प्रसार में गांधी जी का योगदान सुविदित है। पूरे देश में हिंदी हिंदुस्तानी की लहर महात्मा गांधी की ही देन है। जिस तरह अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने 'स्वदेशी' व 'खादी' का आंदोलन चलाया, उसी तरह भाषा में भी खादी की तरह हिंदुस्तानी का समर्थन किया। हिंदी आसान है, जिसे इस देश की आम जनता बोलती, समझती और लिखती है। आज जब तकनीकी उन्नत शिखर पर है, हिंदी की लिपि देवनागरी के अस्तित्व का खतरा भी सामने है। तकनीक ने अंग्रेजी लिख कर और बोल कर हिंदी में आउटपुट की जो सुविधा दे रखी है, उसने देवनागरी लिपि की घटती अहमियत का रास्ता भी आसान किया है। हिंदी टाइप करने के लिए भी आज हम अंग्रेजी का सहारा ले रहे हैं।

हिंदी राजभाषा है, लेकिन राजभाषा के रूप में इसका कितना महत्व है और राजकाज में कितना प्रयोग में आती है, ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम दबा देते हैं। हिंदी अपने ही देश में अपने अधिकार खोने लगी थी और हम बात कर

रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की आधिकारिकता की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा की 'श्रेष्ठता' स्वीकार कराने के लिए कुछ निर्धारित मानक थे। हिंदी से जुड़े आंकड़ों को लेकर हम वहां खरे नहीं उतरे।

दरअसल, हुआ क्या था कि चीन में भाषा के प्रति राजनीतिक सदिच्छा रही और लाल झंडे तले लालफीताशाही ने देश के सारे नागरिकों से भाषा के कॉलम में एक ही नाम भरवा लिया–'मंदारिन'। हमारे लोकतंत्र में कोई अंकुश तो था नहीं, जनगणना में राज्यवार हमारे नागरिकों ने अपनी अलग–अलग भाषाएं लिख दीं। हालांकि, चीन में भी हमारे देश के समान ही तीस–चालीस भाषाएं अस्तित्व और चलन में थीं। 70 के दशक के प्रारंभ में उनकी आबादी लगभग 70 करोड़ थी। जनगणना के भाषागत सर्वेक्षण के आधार पर, यूएनओ ने स्वीकार कर लिया कि चीनी बोलने वाले 70 करोड़ हैं। इस प्रकार उन्होंने 'मंदारिन' को मान्यता दे दी। संख्या–बल में हम दूसरी महाशक्तियों से भी पिछड़ते गए।

अनेक विद्वान मानते हैं कि हिंदी की महानता और महत्ता तभी मानी जाएगी, जब वह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता पा जाएगी। विडम्बना देखिए कि वर्ष 1975 से लेकर अब तक ग्यारह विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं लेकिन हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके लिए तमाम औपचारिकताओं का जंजाल पूरा करना पड़ता है।

10वें सम्मेलन की अनुशंसा थी– 'संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को समयबद्ध तरीके से आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संकल्प लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अन्य देशों का समर्थन जुटाने के लिए भारतीय दूतावासों/मिशनों को और अधिक प्रयास करने चाहिए थे जो उन्होंने अपेक्षानुसार नहीं किए। दरअसल इस दिशा में अपेक्षानुसार गंभीरता दिखाई ही नहीं गई। केवल जुबानी बातें ज्यादा होती रहीं।

11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मै भी उपस्थित था और मंच से विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा भी था कि यदि केवल धनराशि देने की बात होती तो भारत वह भी वहन कर सकता था। किन्तु अनिवार्यता एक निर्धारित संख्या में देशों द्वारा अपनी सहमति देते हुए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से जुड़ी है। इस बारे में निर्धारित संख्या में इतने देशों को हम राजी नहीं कर पाए हैं। इसके लिए और प्रयास तथा और समय की जरूरत है।

इसमें संदेह नहीं कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में अनुशंसा अनुपालन समितियों की अठारह बैठकें हुईं और लगने लगा कि अब तो पुराना सपना साकार हो ही जाएगा। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी की अनिवार्यता के लिए बहुत कुछ किया पर वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से एक हिंदी बुलेटिन प्रारंभ कराने से अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाईं। 'विश्व हिंदी दिवस' का आयोजन अभी तक विदेश मंत्रालय ही अपने सीमित दायरे में कराता आ रहा है। विदेश मंत्रालय में अब सुषमा स्वराज जी जैसा कोई विकट हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा–प्रेमी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगने लगा है कि विदेश मंत्रालय की प्राथमिकताओं में भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी की अस्मिता जैसे मुद्दे गौण हो गए हैं।

आज आवश्यकता है हिंदी को नए समीकरणों और नए स्वरूप में देखने की। उम्मीदें कभी समाप्त नहीं होतीं और यही उम्मीदें आपको आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं। भारत में हिंदी है, हिंदी में भारत है तथा भारत हिंदीमयी और अब विश्व को हिंदीमयी करने की ओर अग्रसर है। भारत की एक समेकित संस्कृति है। हम अगर नए वैश्विक संदर्भों में 'विश्व हिंदी दिवस' मनाएंगे, तो लक्ष्य भी अवश्य पा जाएंगे। इतने प्रयासों के बाद आज भी हम आशावादी हैं कि हिंदी, एक दिन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन कर रहेगी। दिशा अगर सही हो तो दशा भी ठीक ही होगी। बस हमें अपनी दिशा से भटकना नहीं है।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

fgnh }kjk lkjs Hkkjr dks ,d l= esa fijks;k tk ldrk gSA

स्वामी दयानंद

# एक देश, एक चुनाव की आवश्यकता

राजेश कुमार कर्ण*

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने का विचार फिर से चर्चा के केंद्र में है। गवर्नेंस का स्तर सुधारने और देश को बार–बार चुनावी चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी जरूरत को रेखांकित किया है। कुछ दिन पहले लोकसभा के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने इस प्रस्ताव पर विस्तार से बताया कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल सरकारी खजाने को भारी बचत होगी, बल्कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का व्यय भी घटेगा। इससे बार–बार होने वाले चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते रुकने वाली विकास परियोजनाएं भी प्रभावित नहीं होंगी। हालांकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी दलों और राज्य सरकारों को एक साझा मंच पर आकर कोई युक्ति निकालनी होगी। साथ ही संविधान एवं चुनाव संबंधी कानूनों में भी कुछ संशोधन करने होंगे। सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे की मीमांसा करने का अनुरोध किया है। विधि आयोग 1999 में पहले ही इसके पक्ष में सहमति व्यक्त कर चुका है। विधि आयोग ने 1999 में अपनी 170 पन्नों की रपट में इस मुद्दे की गहनता से पड़ताल की और पुरजोर तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने की पैरवी की। हालांकि उसने यह भी स्वीकार किया कि विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकाल चक्र को देखते हुए इसे एकाएक अमल में नहीं लाया जा सकता। उसने उन सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ जोड़ने का सुझाव दिया जो अगले 12 महीनों में प्रस्तावित हों। आयोग ने कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल सहयोग करें तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें किसी पार्टी के हितों पर आघात न हो। विधि आयोग ने यहां तक कहा कि यदि चुनावों को एक गुच्छे में कराने के लिहाज से आवश्यक पड़े तो कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में करीब छह महीनों के समायोजन का संविधान संशोधन भी कराया जा सकता है। जब इस आशय का प्रस्ताव पहली बार चर्चा में आया तो कुछ हलकों में उस पर भारी हंगामा हुआ।

इस मुद्दे पर कार्मिक, लोक सेवा, विधि एवं न्याय जैसे विभागों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने गहन पड़ताल की। इससे संबंधित रपट 2015 में संसद के पटल पर रखी गई। बार–बार चुनाव को लेकर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा कि इससे 'अक्सर नीतिगत जड़ता और शासन अवमूल्यन' के अतिरिक्त ऊंची लागत का बोझ भी बढ़ता है। रपट में अन्य देशों के अनुभवों की ओर भी ध्यानाकर्षण कराया गया। जैसे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चुनाव पांच वर्ष में एक साथ कराए जाते हैं जबकि स्थानीय निकाय चुनाव उनके दो वर्ष बाद होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों के चुनाव प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर सितंबर के द्वितीय रविवार के दिन कराए जाने का प्रावधान है, ब्रिटेन में संसद का कार्यकाल 2011 के एक कानून द्वारा नियत किया गया है।

भले ही विधि आयोग की प्रतिक्रिया की नए सिरे से प्रतीक्षा हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रहित में एक साथ चुनाव का निर्णय विचारणीय अवश्य है।

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में शासन जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए होता है। प्रजातंत्र को बनाये रखने के लिए चुनाव अति आवश्यक होते हैं। आजादी के बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो वर्ष 1951–52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सफलतापूर्वक कराए गए। बाद में राज्य विधानसभाओं के समय से पहले विघटन/धारा 356 के दुरुपयोग, गठबंधन सरकारें, लोकसभा की प्रक्रिया के भी बाधित रहने के कारण लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग–अलग कराए जाने लगे। इन दिनों लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर काफी विचार–विमर्श चल रहा है। जून 2019 में बज़ट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ करवाए जाने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक बार–बार चुनाव होने से देश के विकास की रफ्तार कम होती है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कई मौकों पर इसकी वकालत कर चुके हैं। केन्द्र सरकार की दिलचस्पी के कारण निर्वाचन आयोग को भी इस पर अपना रूख बताना पड़ा है। केन्द्र सरकार ने जानना चाहा था कि लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के सुझाव पर उसकी क्या राय है, और क्या वह इसमें सक्षम है। चुनाव आयोग ने अपनी रजामंदी जता दी है तथा यह भी बताया है कि वैसी सूरत में कितने अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन के साथ–साथ सभी राजनीतिक दलों की सहमति

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

जरूरी है। इतना बड़ा परिवर्तन आसानी से नहीं होने वाला है, कुछ वक्त लगेगा, इसलिए कोई बेसब्री भी नहीं दिखाई जा रही है। 'मैं अकेला नहीं, बल्कि सब मिलकर करेंगे', कहकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे आम राय बनाने के मूड में हैं। इसे संभव बनाने के लिए इस विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी है कि एक साथ चुनाव के क्या फायदे हो सकते हैं।

इसके पक्ष में मजबूत तर्क हैं। इससे अथाह धन की बचत होगी जिसका इस्तेमाल विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के आयोजन में 1195 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तथा 2014 के चुनाव में 3900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 55000 करोड़ रुपए हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में में इसके कई गुणा अधिक खर्च होने की आशंका है। एक साथ चुनाव से चुनावों पर लगातार बढ़ता खर्च घटेगा, चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों को बार–बार चुनाव ड्यूटी पर नहीं भेजना होगा, बार–बार मतदाता सूची बनाने एवं इसमें संशोधन करने से मुक्ति मिलेगी। भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल एवं भारी जनसंख्या वाले देश, जहां लगभग 92 करोड़ मतदाता हैं, यहाँ चुनाव कराना एक बहुत ही बड़ा एवं जटिल काम है। बेशक बार–बार चुनाव होने से भारी मात्रा में सार्वजनिक धन बर्बाद होता है। निर्वाचन आयोग भी बार–बार चुनाव कराने के लिए बहुत रकम खर्च करता है जो असल में करदाताओं का ही पैसा है। हालांकि शुरूआत में अतिरिक्त वोटिंग मशीन और कार्यबल की जरूरत काफी बढ़ सकती है लेकिन बेशक लंबी अवधि में खर्च अंततः कम हो सकता है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था बेहतर लोकतंत्र और दीर्घकालिक लाभ के लिए हमारा निवेश होगा।

राजकोषीय खर्च बढ़ने के साथ–साथ राजनीतिक दलों को भी बार–बार चुनाव प्रचार अभियान के लिए प्रायः चंदे के जरिए धन जुटाना पड़ता है। अक्सर ये चंदे दान के रूप में व्यावसायिक घराने या धनी लोग देते हैं। इससे भ्रष्टाचार की जड़ मजबूत होती है क्योंकि जब पार्टियां चुनाव जीतकर सत्ता में आती हैं तो अपने दानदाताओं को उपकृत करने के लिए सरकारी नीतियों को उनके अनुकूल बनाती हैं। कम संख्या में चुनाव होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी तथा दलालों की संख्या एवं कालेधन में कमी आएगी।

बार–बार चुनाव होने से नीति निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है तथा नई योजनाओं के ऐलान पर रोक लग जाती है ताकि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश न की जा सके। इससे सरकार के हाथ बंध जाते हैं तथा नीतियों पर अमल ठप्प हो जाता है। इसका असर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है। दोनों चुनाव एक साथ होने की स्थिति में एक बार ही कुछ समय के लिए चुनावी आचार संहिता लागू होगी जिससे सरकारी कामकाज में बार–बार रूकावट नहीं आएगी। राज्य और केन्द्र की सरकारें पाँच वर्ष का 'विजन' लेकर शपथ ग्रहण करेंगी, जिससे विकास की धुरी तेजी से घूम सकेगी। बार–बार चुनाव का सामना करने वाली सरकारें दीर्घकालीन के बजाय अल्पकालीन मुद्दों पर ही ज्यादा ध्यान देती हैं परिणामस्वरूप सुशासन की व्यवस्था प्रभावित होती है। चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म एवं अन्य को अधार बनाकर विभाजनकारी ताकतें मजबूत होती हैं जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता है एवं राष्ट्रीयता की भावना कमजोर होती है। एक साथ चुनाव होने पर हर राज्य के लिए अलग एजेंडा रखना या विरोधाभासी एजेंडा रखना प्रत्येक दल के लिए मुश्किल होगा। एक साथ चुनाव होने पर विधानसभा के साथ लोकसभा का एजेंडा जनता के सामने रखना क्षेत्रीय दलों की मजबूरी होगी, इससे राष्ट्रीय एजेंडे को महत्व मिलेगा।

चुनाव आयोग एक चुनाव से निबट नहीं पाता कि उसे दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाना पड़ता है। पाँच साल में बार–बार चुनाव के बजाय एक साथ चुनाव कराने से कई चरणों के बदले एक ही दिन में वह काम पूरा कर पाएगा, इससे उस पर बोझ कम होगा। प्रत्येक साल औसतन पाँच से ज्यादा राज्यों के चुनाव होते रहते हैं और इसके कारण राजनीतिक दलों एवं चुनावी मशीनरी पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है।

चुनाव के दौरान भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों, पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ती है। बार–बार चुनाव होने के कारण पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर एवं माओवाद प्रभावित जिलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती नहीं हो पाती और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। बार–बार चुनाव से शैक्षणिक कार्य पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षकों की ही ड्यूटी लगती है।

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार ने 2017 में फिर से रफ्तार पकड़ी, जब चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एवं संसाधन उपलब्ध हैं। वरिष्ठ स्तंभकार श्री ए. सूर्यप्रकाश ने लिखा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव किस प्रकार गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं, इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है। कर्नाटक में 1983 के विधानसभा चुनाव में रामकृष्ण हेगड़े जी के नेतृत्व में जनता पार्टी–कर्नाटक क्रांति रंगा गठबंधन ने कांग्रेस को परास्त कर सत्ता हासिल की। 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को हरा दिया। हेगड़े ने उस परिणाम को अपनी पार्टी के विरुद्ध जनादेश के रूप में लेकर राज्यपाल से नए

चुनाव कराने को कहा। विधानसभा के लिए चुनाव सात महीने बाद हुए, पर इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता रही, जिससे शासन–संचालन प्रभावित हुआ। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोकसभा में जनादेश विपरीत आने पर राज्य में सत्तारूढ़ दल स्वयं को लेकर अनिश्चित हुआ है। इससे शासन में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों तो इन सारी समस्याओं या दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है।

भले ही एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में ये तमाम तर्क वजनदार हैं लेकिन इसके विरोध की दलीलें भी कम दमदार नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से हमारे संविधान के संघीय चरित्र पर चोट पहुंचेगी क्योंकि वोटर स्थानीय या राज्य के मुद्दों को उतना तवज्जो नहीं दे पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। यह स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों के विचार एवं निर्णय को मिला देता है जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। यह दलील भी दी जाती है कि जब लोग एक ही बूथ पर जाकर विधानसभा एवं लोकसभा के लिए मतदान करेंगे तो इसकी बहुत संभावना है कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इससे छोटे और विशेष रूप से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, उनकी भूमिका घट जाएगी और विविधता और गठबंधन की राजनीति कमजोर होगी जबकि इससे लोकतंत्र को मुखरता मिलती है। आईडीएफसी एवं सीएसडीएस और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के दो प्रोफेसरों द्वारा अतीत में किए गए दोनों अध्ययनों का निष्कर्ष भी यही है कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो लोगों द्वारा एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना रहती है। अर्थात यह वोटरों के व्यवहार तथा चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यह पूर्णतः सही नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जब केन्द्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए और मतदाता ने दोनों के लिए अलग–अलग दलों या धड़ों का चुनाव किया। 1967 तक चुनाव आमतौर पर एक साथ ही हुए, फिर भी आठ राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनी। अर्थात मतदाता अपना भला–बुरा तब भी जानते थे। हमारे पास वर्ष 2014 में ओडिशा में राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने के भी अनुभव हैं। गठबंधन सरकारों के इन 50 वर्षों में भारतीयों ने शिक्षा, दीक्षा और लोकतांत्रिक संस्कारों में उल्लेखनीय तरक्की की है, इसलिए यह तर्क आसानी से गले नहीं उतरता।

लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि से प्रायः आसपास नहीं रहती। अब तक 16 लोकसभाओं में से सात को अवधि से पहले ही भंग किया गया है जबकि 1985 के दलबदल विरोधी कानून और अनुच्छेद 356 के मनमाफिक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों एवं सख्त रूख के कारण पिछले कुछ वर्षों से विधानसभाएं अमूमन अपना कार्यकाल पूरा कर पा रही हैं।

बार–बार चुनाव से नेताओं और राजनीतिक दलों को जनता के सवालों का सामना बार–बार करना पड़ता है इसलिए उनमें जवाबदेही का भाव कुछ ज्यादा आता है। साथ ही, चुनाव के दौरान कई तरह के रोजगार पैदा होते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान हथियारों की जब्ती का अभियान चलाया जाता है, लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करा लिया जाता है और लंबित गैर जमानती वारंटों पर सख्ती से अमल कराया जाता है। इससे अपराध दर में गिरावट आती है।

इसके पक्ष एवं विपक्ष में मजबूत तर्क हैं किंतु एक साथ चुनाव कराने के फायदे उसके नुकसान पर भारी पड़ेंगे। यह समाज एवं राष्ट्र के हित में है। इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने के मार्ग में अनेक चुनौतियां एवं रूकावटें हैं जिनसे पार पाना होगा। एक साथ चुनाव की राह में सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक सर्वसम्मति की होगी। इसके बावजूद इस दिशा में प्रयास होने चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विचार है जो जनता को बार–बार चुनाव के बोझ से मुक्ति दिलाने में कारगर होगा। बेहतर शासन और अपेक्षाकृत कम राजनीतिक द्वंद्व की दृष्टि से भी यह विचार श्रेयस्कर है। संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। जनप्रतिनिधि कानून 1951, जिसमें देश में चुनाव करवाने संबंधी विभिन्न तौर–तरीके शामिल हैं, में संशोधन की जरूरत होगी और संवैधानिक संशोधनों के लिए दो–तिहाई बहुमत की जरूरत होती है किंतु अभी सत्तारूढ़ दल इससे बहुत दूर है।

भारतीय संविधान में लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच साल तय किया गया है, जबकि जम्मू–कश्मीर के लिए छह वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसमें बदलाव के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। अभी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव उनके अलग–अलग कार्यकालों के मुताबिक होते हैं। दोनों चुनाव एक साथ करवाने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। जो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी, वहां की सरकार इसे स्वीकार करने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि एक निर्वाचित विधानसभा की अवधि कम करना असंवैधानिक है क्योंकि विधानसभा को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग करने का अधिकार संसद या किसी भी अन्य संघीय एजेंसी को नहीं है। इस स्थिति में किसी खास राज्य सरकार के साथ समझदारी बनाकर उसे अपना कार्यकाल कुछेक महीने घटाने के लिए राजी किया जा सकता है। इसके साथ ही, कुछ विधानसभा की अवधि बढ़ाने की स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है लेकिन इससे प्रादेशिक स्वाभिमान पर चोट पहुंच सकती है।

ज्यादा समस्या केन्द्र के स्तर पर आ सकती है। अगर केन्द्र सरकार खुद लोकसभा में विश्वास खो बैठती

है या उसका बजट पास नहीं होता तो क्या होगा? तब क्या चुनाव नहीं करवाए जाएंगे? यदि लोकसभा की अवधि पूरी होने से पहले उसके भंग होने की परिस्थिति पैदा हो जाती है तो नीति आयोग की सिफारिश है कि जब तक अगले सदन का गठन नहीं हो जाता, यह प्रावधान किया जा सकता है कि राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद बनाकर देश का शासन चलाएं। बहुत से संविधान के जानकारों के अनुसार बिना प्रत्यक्ष जनादेश के बने हुए राष्ट्राध्यक्ष द्वारा शासन का मतलब लोकतंत्र का कत्ल होगा। भारतीय संविधान में भी केन्द्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है, यहां सरकार केवल प्रधानमंत्री ही चला सकते हैं। ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने 'ब्रेक्जिट' को लेकर दोबारा जनता के सामने जाने का फैसला किया था यह उनका अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे अधिकार से वंचित क्यों किया जाए? अगर वह लोकसभा भंग कर दोबारा जनादेश प्राप्त करना चाहें, तो उन्हें रोका क्यों जाए? राज्य में भी यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा भंग कर दोबारा जनादेश प्राप्त करना चाहें तो उनके समक्ष रूकावट क्यों खड़ी की जाए?

कभी–कभी चुनाव के बाद किसी दल अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर भी स्थायी सरकार का गठन संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है किंतु केन्द्र में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उस व्यक्ति को बगैर लोकसभा का सामना किए छह महीने तक प्रधानमंत्री पद पर बैठने का अधिकार भी होता है। लेकिन एक महीना या एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति देश के शासन से जुड़ा कोई काम प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल उठाया गया है कि लोकसभा के लिए निश्चित पाँच साल के कार्यकाल की व्यवस्था कर भी ली जाए तो सदन में किसी दल या गठबंधन का बहुमत न बन पाने की स्थिति में देश का शासन कौन चलाएगा?

बेशक एक साथ चुनाव के लिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि निर्वाचित सदन पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करे। उन प्रावधानों को बदलना होगा जिनके चलते सदन को भंग करके मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है और उसके स्थान पर नई सरकार नहीं बन पाने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत में भी जर्मन संविधान की व्यवस्थाओं से सीख लेकर 'अविश्वास मत के प्रस्ताव' के स्थान पर 'रचनात्मक अविश्वास मत के प्रस्ताव' का प्रावधान कर सकते हैं जिसके अनुसार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है बल्कि किसी अन्य नेता के नेतृत्व में नई सरकार के बहुमत का दावा पेश किया जाता है। इससे एक सरकार के गिरने से पहले दूसरी सरकार बनने की स्थिति रहती है। ऐसा होने पर लोकसभा एवं विधानसभा का पाँच वर्ष तक चलते रहना निश्चित हो जाएगा।

सबसे पहले केन्द्र सरकार के सामने सर्वसम्मति बनाने का महत्वपूर्ण कार्य है। एक साथ चुनाव करवाने के लिए राजनीतिक सर्वसम्मति बनाना संभवतः केन्द्र सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानी एवं बाधा होगी क्योंकि बहुत से राजनीतिक दलों ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष इससे संबंधित अपनी शंकाएं जाहिर की हैं। राजनीतिज्ञ अपने संकुचित राजनीतिक नजरिए को छोड़कर राष्ट्रीय हितों की चिंता करें, उस बारे में सोचें जो देश के लिए बेहतर हो। उन्हें यह देखना चाहिए कि तमाम उथल–पुथल के बावजूद हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सभी सात राज्यों के साथ–साथ संसद के चुनाव भी एक साथ ही इसी वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। केन्द्र सरकार को सभी पंजीकृत केन्द्र एवं राज्य स्तर की पार्टियों, सांसदों एवं विधायकों से उनकी राय जरूर लेनी चाहिए और ठीक उसी तरह राजनीतिक सर्वसम्मति बनानी चाहिए जैसे 1960 के दशक में आदर्श आचार संहिता के लिए बनाई गई थी।

दोनों चुनाव एक साथ कराने के मामले में इस तरह के तर्कों का विशेष मूल्य, महत्व नहीं है कि इसमें तमाम समस्याएं आड़े आएंगी, क्योंकि सच तो यह है कि ऐसा होने पर तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1951 से 1967 के पहले चार लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में सफल थी तो अब क्यों नहीं? यह अब भी सफल हो सकती है। इस सिलसिले में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक और संविधान संशोधन करना होगा जो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि एक साथ चुनाव समाज एवं राष्ट्र के हित में है। इसके साथ ही राजनीति में अपराधीकरण, चुनाव जीतने के लिए धन–बल का बेतहाशा उपयोग, हिंसा, चुनाव में कालाधन, भ्रष्टाचार, झूठे वादों/सपनों पर भी लगाम लगाना जरूरी है। यह कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक दलों में हर कीमत पर चुनाव जीतने की मंशा होती है, जहां नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। अब राजनीति जन सेवा की जगह सत्ता, संपत्ति और शक्ति का स्रोत बन गई है। वोट बैंक की राजनीति से राजनीतिक जीवन का अपराधीकरण हुआ है एवं राजनीति में व्यापक विकृतियां घर कर गई हैं। इसलिए राजनीति की व्यापक सफाई के लिए स्थानीय स्तरों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनांदोलन खड़ा करना होगा। चुनाव जब हों, जैसे हों, पर उनके जरिए यदि सही लोग नहीं चुने जाएंगे तो हर बार हमारे सपने ऐसे ही टूटते रहेंगे एवं देश का विकास प्रभावित होगा।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# प्रमुख स्वतंत्रता सेनानीः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

बीरेंद्र सिंह रावत*

स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका निर्विवाद रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में ए. ओ. ह्यूम (थियिसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य), दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरूआत से लेकर मध्य तक कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है कि किसी भी संगठन अथवा दल में व्यक्तियों के मध्य विचारों की भिन्नता होना आम बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ नेता अंग्रेजों के साथ सामंजस्य में सरकार बनाने के पक्ष में थे तो कुछ नेता हर हाल में अंग्रेजों से पूर्ण आजादी चाहते थे। ऐसे नेताओं को क्रमशः नरम दल और गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता था। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरु कर रहे थे तो गरम दल का नेतृत्व अरविन्द घोष के साथ लाल–बाल–पाल की तिकड़ी कर रही थी। लाल–बाल–पाल की तिकड़ी में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल थे।

## ikjfHkd thou

बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक (मूल नाम केशव गंगाधर तिलक) का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गाँव चिखली में चित्पावन ब्राह्मण परिवार हुआ था। इनके पिता गंगाधर तिलक संस्कृत के अध्यापक थे। लोकमान्य तिलक को बचपन से ही पढाई में रूचि थी, वह गणित में बहुत अच्छे थे। तिलक जब 10 साल के थे, तब उनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए थे। यहाँ उन्होंने एंग्लो–वर्नाकुलर स्कूल ज्वाइन किया और शिक्षा प्राप्त की। पुणे आने के थोड़े समय बाद ही तिलक ने अपनी माता को खो दिया। 16 साल की उम्र में तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया। लोकमान्य तिलक बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। तिलक जब मैट्रिक की पढाई कर रहे थे, उन्होंने तब ही तापिबाई, जिनका नाम बाद में सत्यभामा बाई हो गया, से शादी की। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने डेक्कन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहाँ से उन्होंने 1977 में बी.ए. की डिग्री प्रथम श्रेणी में पास की। तिलक आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित के टीचर बन गए। इसके बाद भी तिलक ने पढाई जारी रखी और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल की। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोडकर वह पत्रकार बन गए। इस समय बाल गंगाधर जी देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत थे, वह इसके लिए अपनी आवाज उठाना चाहते थे। तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धिति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है, और भारतीत संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है, जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर 1884 में 'डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी' बनाई। तिलक ने दो समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू किया। इसमें एक मराठी में साप्ताहिक समाचार

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

पत्र 'केसरी' था और दूसरा अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र 'महराता' था। थोड़े समय में ही ये दोनों समाचार पत्रों बहुत प्रसिद्ध हो गए। अपने इन समाचार पत्रों में तिलक भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे, वे लोगों के कष्टों का और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर को इसमें छापते थे। बाल गंगाधर तिलक सबसे कहा करते थे कि अपने हक लिए सामने आकर लड़ो।

## राजनीतिक यात्रा

लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। लोकमान्य तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, तथा भारतीय अन्तःकरण में अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। उन्होंने माँग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच' (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोकमान्य तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। हालांकि, कांग्रेस के उदारवादी रवैये, खासकर जो स्वराज्य हेतु लड़ाई के प्रति था, के वह खिलाफ थे। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में 'देश का दुर्भाग्य' नामक शीर्षक से लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। 1897 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और राज विरोधी असंतोष का प्रचार करने के लिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा और डेढ़ साल बाद वह 1898 में बाहर आये।

1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के मध्य मतभेद खुलकर सामने आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे जबकि नरम दल के नेता इसे सिर्फ बंगाल तक रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ते गए और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। बंगाल में शुरू हुआ धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देश के अन्य भागों में भी फैल गया। समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा वे अपनी बात महाराष्ट्र के गाँव–गाँव तक पहुंचाते थे. तिलक ने अपने घर के सामने एक बड़ा स्वदेशी मार्किट भी बनाया था. स्वदेशी आन्दोलन के द्वारा वे सभी विदेशी समान का बहिष्कार करते थे, एवं लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहते थे।

लोकमान्य तिलक ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाली क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा कलकत्ता के मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर किए गए बम हमले (लेकिन दुर्भाग्यवश यह बम डगलस किंग्सफोर्ड को न लगकर उस गाड़ी में यात्रा कर रही दो महिलाओं को लगा और उनकी मृत्यु हो गयी। चाकी ने पकड़े जाने पर आत्महत्या कर ली, जबकि बोस को फांसी पर लटका दिया गया) का समर्थन किया था और 1909 में अपने पेपर 'केसरी' में तुरंत स्वराज की बात कही थी, जिसके लिए उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें 6 साल की जेल हो गई, और उन्हें बर्मा (अब म्यांमार) स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। भारतीय दंड संहिता में धारा 124–ए को ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ा था जिसके अंतर्गत 'भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था।' 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124–ए में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153–ए जोड़ी जिसके अंतर्गत 'अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो यह भी अपराध होगा।' लोकमान्य तिलक ने जेल में रहते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर अपने विचारों को और विकसित करते हुए पढ़ना और लिखना जारी रखा। साथ ही उन्होंने 'गीता का रहस्य' पुस्तक लिखी, जिसकी कई प्रतियां बिकीं और उससे मिले पैसे को तिलक द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान कर दिया था। इससे पहले उनकी दो रचनाएं 1893 में 'ओरियन' और 1903 में 'दि आर्कटिक होम इन दी वेदाज़' आईं थी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक खत से प्राप्त हुई और लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था कि वे अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते। जेल में रहने के दौरान उन्हें सभी देश का महान हीरो एवं शहीद कहकर बुलाते थे जबकि ब्रिटिश सरकार उन्हें 'भारतीय अशांति का जनक' कहकर संबोधित करती थी।

मांडले जेल से छूटने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने ने 1916 कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वह कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गाँधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट न करें, बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गईं। इसके बाद उन्होंने एनी बेसेंट की तर्ज पर अप्रैल 1916 में होम रुल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली और उनके अनुयायियों ने होमरूल आंदोलन 1916 के दौरान उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। लोकमान्य का अर्थ होता है 'लोगों द्वारा प्रतिष्ठित'। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था। इसमें चार या पांच लोगों की टुकड़ियां बनाई जाती थी जो पूरे भारत में बड़े–बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मतलब समझाया करते थे। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई हुई थीं। उन्होंने वहां पर होमरूल लीग जैसा प्रयोग देखा था, उसी तरह का प्रयोग उन्होंने भारत में करने का सोचा। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के आन्दोलन से जोड़ने की कोशिश करते रहे। अप्रैल 1916 में लीग में 1400 सदस्य थे और 1917 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 32,000 हो गयी थी। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 1916 में भी तिलक पर उनके स्व–शासन व्याख्यानों को लेकर तीसरी बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया तो जिन्ना (1909 में जब तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया तो तब भी उनके बचाव में बॉम्बे के वकील मुहम्मद अली जिन्ना पेश हुए थे) फिर से उनके वकील थे और इस बार उन्हें बरी कर दिया गया।

## सामाजिक योगदान

बाल गंगाधर तिलक भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले उठाई। लोकमान्य तिलक ने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देशप्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। नागरी प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने पूरे भारत के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की और कहा कि समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुलझायी जा सकती। उन्होने तर्कपूर्ण ढंग से दलील दी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा में उन्होंने कहा था, 'देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। 'स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों लोगों के लिए आदर्श लोकमान्य तिलक एक उदारवादी हिन्दुत्व के पैरोकार थे। इसके साथ ही वह कट्टरपंथी माने जाने वाले लोगों के भी आदर्श थे। धार्मिक परंपराओं को एक स्थान विशेष से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की अनोखी कोशिश करने वाले तिलक सही मायने में 'लोकमान्य' थे।

## आधुनिक भारत के निर्माता

तिलक ने 1880 के दशक में जिस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, वह अभी भी पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थान चलाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में तिलक द्वारा शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन 1947 में उस लक्ष्य को हासिल करने तक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बना रहा। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिये स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गये थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव कौंसिल (विधायी परिषद) के चुनाव के बहिष्कार की महात्मा गाँधी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिये प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तरपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नये सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 01 अगस्त 1920 को बम्बई में उनकी मृत्यु हो गयी। मरणोपरान्त श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गाँधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया।

एक बार तिलक ने कहा था, 'मैं भारत को अपनी मातृभूमि और अपनी देवी मानता हूं, भारत में लोग मेरे परिजन हैं, और उनकी राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति के लिए निष्ठापूर्वक और अडिग कार्य करना ही मेरा सर्वोच्च धर्म और कर्तव्य है।' जीवनभर सामाजिक उत्थान एवं भारत की आजादी के लिए संघर्षरत रहने वाली ऐसी महान विभूति को शत–शत नमन।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2022 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 – 29 सितंबर 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2022 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। हिंदी पखवाड़ा – 2022 के संबंध में 13 सितंबर 2022 को परिपत्र जारी किया गया एवं उसके माध्यम से सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया गया।

हिंदी पखवाड़ा – 2022 के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 32 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 22 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्रीमती रुचिका चौहान ने द्वितीय एवं श्री अनुज रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. रम्य रंजन पटेल ने प्रथम एवं श्रीमती सुधा गणेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्रीमती मोनिका गुप्ता ने प्रथम, श्रीमती सुधा वोहरा ने द्वितीय एवं श्री राजेश कुमार कर्ण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में श्रीमती सुधा गणेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री कृष्ण कुमार ने प्रथम, श्री सतीश कुमार और श्री दिलीप सासमल ने द्वितीय एवं श्री नवल भगत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में श्रीमती मंजू सिंह ने प्रथम, डॉ. एलीना सामंतराय ने द्वितीय एवं श्री सतीश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती मोनिका गुप्ता ने द्वितीय एवं श्री नितिन जायसवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती रुचिका चौहान ने द्वितीय एवं श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम ने प्रथम, श्रीमती मंजू सिंह ने द्वितीय एवं श्री प्रकाश मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर 30 सितंबर 2022 को संस्थान के महानिदेशक महोदय की अनुपस्थिति में सभी विजयी प्रतिभागियों को वरिष्ठतम संकाय सदस्य डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

## dfl;k

राकेश कुमार*

कुर्सियों पर बैठे लोग,
कुर्सियों के नहीं होते,
बिकती नहीं हैं कुर्सियाँ,
बिक जाते हैं उन पर बैठे लोग।
गद्‌देदार, मखमली कुर्सियों में भी,
लगी होती हैं कीलें,
आरामदायक कुर्सियों में भी,
होती है तेज चुभन।
कुर्सियाँ चुभती हैं बैठने वालों को,
और कभी–कभी देखने वालों को भी।
अक्सर चलती हैं कुर्सियाँ,
उछलती और टूटती भी हैं कुर्सियाँ,
कभी लगाई जाती और बिछाई जाती हैं कुर्सियाँ,
फिर धीरे से –
खींची भी जाती हैं कुर्सियाँ।
कभी उपेक्षित,
तो अक्सर अपेक्षित होती हैं कुर्सियाँ।
कुर्सियों का नहीं होता ईमान,
मगर–
कुर्सियों पर बैठे लोग रखते हैं ईमान।
सिर्फ एक बार बनती हैं,
पर कई बार बिकती हैं कुर्सियाँ।
कभी चार,
तो कभी तीन टांगों पर,
टंगी होती हैं कुर्सियाँ।
टांगें खींचने को आतुर,
लोगों से घिरी होती हैं कुर्सियाँ।
कुर्सी एक जिम्मेदारी है,
परंतु कुर्सी पर बैठा आदमी,
नहीं समझता जिम्मेदारी।
कहीं कुर्सी पर लदे,
तो कहीं पसरे हुए हैं लोग।
ये कुर्सियाँ भी संभाले हुए हैं,
कैसे–कैसे लोगों का बोझ,
जो हो नहीं पाते कहीं के,
वे हो जाते हैं कुर्सी के।
ना जाने कैसे–कैसों का बोझ,
कुर्सियाँ अपने पर उठाए हुए हैं,
और इन पर बैठे लोग,
अपने भाग्य पर इतराए हुए हैं।
कहीं चमचमाती,
तो कहीं धूल–धूसरित हैं कुर्सियाँ,
आज भरी बोझ से दबी,
क्यों कराह रही हैं कुर्सियाँ।

## एक मोमबत्ती हम भी जलाएँ

श्याम कुमार**

जाने कब गोद से उतरकर,
माँ की उंगुली छोड़कर,
कंधे पर बैग आ गया,
हाथ छूटा स्कूल का .......,
तो कॉलेज भा गया।
डिग्री और तमगों ने झोली भरी,
तो रोटी की तलाश में.........,
शहर आ गया।

काली नदी सी सड़कों पर,
भागता–सा तैरता रहा।
मन कहीं दूर खोजता रहा छोर,
जो ले जाए फिर ज्ञान की ओर।
काम का बोझ करता था,
क्षीण प्रकाश के ज्ञान को।
बोझिल था तन, भारी था मन,
व्यर्थ लगते थे अनुसंधान।

वर्षों बाद थोड़ी खुशी पाई है,
हल्की मुस्कान आई है।
वही वृक्ष मिला जहाँ मिलते हैं सबक,
ज्ञान का प्रकाश.............
उत्साहित हूँ, खुश हूँ,
मन से कोटि–कोटि धन्यवाद।
फिर खुली दुनिया अनंत आसमान,
कोटि–कोटि धन्यवाद
राष्ट्रीय श्रम संस्थान।

*निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
**संयुक्त निदेशक (राजभाषा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय, नई दिल्ली

# जब तुम उठी..........प्रेरक अंतरात्मा

डॉ. एलीना सामंतराय*

नारी, तुम एक प्रेरक आत्मा।
जीत के लिए जनित, हासिल करने के लिए जीवित,
प्रयत्नों के लिए जनित।

मायने नहीं किसी तारीख के,
महत्त्व नहीं तुम्हारी ओर घूरती,
उन घिनौनी नफरत भरी, पगलाई सी बुरी निगाहों के,
जैसे तुम थी सदा से--------इस सुंदर मानवीय सदन में,
एक अनचाही, कमतर, नश्वर आत्मा,
स्थानहीन, महत्वहीन।

तुम्हारी वे चमकती आँखें,
जो उत्सुक हैं--------.इस दुनिया को देखने को,
लौकिक जिज्ञासा के साथ--------..
अपने स्वर्गिक निवास से आगे बढ़ती हुई,

ओह प्रेरक आत्मा।
तुम श्वेत मोती के समान शुद्ध, गंगा जल के समान पवित्र,
कसमसाते आलिंगन में जकड़ी, प्रेमपाश में बंधी,
करुणा, दया और क्षमा से परिपूर्ण,

ओह! एक प्रेरक आत्मा।
आह! तुम प्रेरक अंतरात्मा।

कैसे समझूँ.........तुम अनचाही, अयाचित, मूल्यहीन हो ?
अनियंत्रित रास्तों से निकलती हुई,
उदार, बंधन–मुक्त शक्ति तुम,
ऊँची उड़ान भरती हुई.........
नेतृत्व से परिपूर्ण, क्योंकि तुम हो प्रेरक आत्मा।
सबकी परवाह करती हुई, जो रहे सदा उपेक्षित,
सबको स्नेह देती हुई, जो रहे स्नेहविहीन जीवन भर,
सभी का हाल पूछती हुई, जो रहे सदा याचक,

असंख्य परीक्षणों से गुजरती हुई,
पार करती हुई, निकलती हुई।

जीवन के दारुण दुखों के बंधनों को तोड़ती हुई,
उत्तरदायित्वों से मुक्त होती हुई,
प्रेरणा दायक मानवता के प्रकाश पुँज से
स्वयं प्रकाशित होती हुई,
अन्य को प्रकाशित करती हुई,

क्योंकि तुम हो प्रेरक आत्मा।
आह! एक प्रेरक अंतरात्मा।

सशक्त जागृत तारक पुँज तुम में समाहित,
जीत को प्राप्त करती हुई,
असीमित आसमानों को छूती हुई,
क्योंकि ये उन्मुक्त गगन है तुम्हारा।
तुम जागृत हो एक बार फिर से,
उन बंधनों को खोलने के लिए, तोड़ने के लिए,

ओह! प्रेरक आत्मा, मानवता की प्राणषक्ति।

जैसे ही, बढ़ती हो, उठती हो.........
बंधनों को ध्वस्त करती हुई,
नई ऊर्जा से झंझोड़ती हुई,
अपनी भरपूर क्षमता से,
प्रेरणा देती हुई.....उन्हें, हमें, और समस्त जन को!

क्योंकि तुम हो प्रेरक आत्मा।

जीत के लिए जनित, हासिल करने के लिए जीवित,
प्रयत्नों के लिए जनित।

ओह! प्रेरक आत्मा।
वाह! तुम प्रेरक अंतरात्मा।
वाह! तुम प्रेरक अंतरात्मा।

*फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
*अनुवाद में सहयोग – श्रीमती सीमा शर्मा*

# एजेंडे में जल, जीवन और जलवायु परिवर्तन

राजेश कुमार कर्ण*

कोरोना के अनिश्चित माहौल के बाद अब ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि जल, जीवन और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम सारे देश में चलाने होंगे। बेशक भारत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। लेकिन हमारे देश में पानी की कमी का भीषण और गंभीर संकट दिन–प्रतिदिन गहराता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियां भी हैं। लगातार बढ़ती आबादी वाले शहरों और उद्योगों की बढ़ती संख्या पानी के अंधाधुंध उपभोग के लिए जिम्मेदार है। पानी की बढ़ती मांग ने भूजल पंपिंग के उपयोग को बढ़ा दिया है। हर साल चेन्नई, शिमला, बेंगलुरु और लातूर में जल संकट और दूसरी ओर केरल, कश्मीर, गुजरात, असम और बिहार में बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार व्यापक और तीव्र होती जा रही हैं।

जल और वायु ही पृथ्वी पर जीवन तय करते हैं। ये जलवायु ही है जो पृथ्वी की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कोरोना से लड़ाई में जल हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। जल है तो शुद्ध जलवायु है। शुद्ध जलवायु है तो इंसान का तन–मन स्वस्थ है। इंसान स्वस्थ है तो उसकी प्रतिरक्षा मजबूत है और तभी कोरोना कमजोर होगा। किंतु दुनिया के एक–तिहाई लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं होता है (डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ 2019)। हम सभी जानते हैं कि जल है तभी कल है। जल, जीवन और जलवायु परिवर्तन के मसले एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं। हम जल बचाएंगे तो जीवन बचेगा तथा जलवायु परिवर्तन पर रोक लगेगी। जलवायु परिवर्तन रुकेगी तो पानी संरक्षित रहेगा। हमारा पानी का इस्तेमाल ही बाढ़, सूखा, कमी और प्रदूषण की विभीषिका को तय करता है। जलवायु परिवर्तन पर पानी के असर को संतुलित करके हम स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना महामारी के प्रकोप से अपने अनमोल जीवन को बचा सकते हैं। जलवायु से तादाम्य स्थापित करती जलापूर्ति और साफ–सफाई से हर साल हम 3.6 लाख नौनिहालों का जीवन बचा सकते हैं (यूएन, 2018)। पानी के कुशल इस्तेमाल तथा प्रबंधन से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भी कम कर सकते हैं जो अंततः जलवायु परिवर्तन की प्रमुख वजह है। 1970 के बाद से भारत में पानी की स्थिति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह से कुप्रबंधन, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, लोगों की उदासीनता के कारण लगातार बिगड़ती गई है।

मानसून हिमखंडों से लेकर सब जगह वर्षा के माध्यम से नदियों, तालाबों, पोखरों व नालों तक पानी पहुंचाता है और इसके बेहतर संरक्षण का दायित्व प्रकृति ने वनों को दिया है। हमने अपने विकास की तथाकथित महत्वाकांक्षाओं के चलते वनों का एकतरफा नाश कराया जिससे पृथ्वी की जल संग्रहण क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ा। सुविधाओं के लिए अति ऊर्जा के उपयोग हो रहे हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।

कार्बन उत्सर्जन को रोकने में दुनिया के दूसरे देशों को जहां निराशा हाथ लग रही है, वहीं भारत ने इसके प्रति मजबूत इच्छाशक्ति जताई है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है बल्कि वह इसे पाने की दिशा में लगभग 15 प्रतिशत तेज है। यह बताता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर केन्द्र और राज्य की योजनाओं को 2008 में स्वीकार किया गया था। इन योजनाओं के तहत राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन को अपने उद्देश्य हासिल करने में काफी सफलता मिली है। सौर ऊर्जा को लेकर भारत की स्थिति बेहतर है।

दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता प्रदूषण के कारण काफी खराब होती जा रही है और ये शहर गैस चैंबर बन चुके हैं। वैश्विक एजेंसियां प्रदूषित शहरों की जो सूची जारी करती हैं उनमें भारत के शहर टॉप पर होते हैं। आज दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में सांस लेना सामान्य तौर पर दिन में 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर घातक है। वायु प्रदूषण आज सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ी समस्या ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े सबसे बड़े खतरों में भी सबसे बड़ा है। देश और दुनिया की कई वैज्ञानिक रिपोर्टें बता चुकी हैं कि हमारे देश में हर साल कम से कम 10 लाख लोग वायु प्रदूषण से हो रही बीमारियों से मर रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण सिर से पैर तक हर अंग की बीमारियां हो रही हैं। नवजात और स्कूली बच्चों पर इसकी

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

चोट सबसे अधिक है। इसी के मद्देनजर पिछले वर्ष मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले 122 सबसे प्रदूशित शहरों की वायु गुणवत्ता (पीएम 2.5 और पीएम 10) को वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत सुधारना है। वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अलावा कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय (जिसके तहत स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम हैं) प्रयासरत हैं। देश में अब बीएस–VI मानकों को अपनाया गया है और गुणवत्ता वाले पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराए गए हैं जो प्रदूषण से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अच्छी सड़कों और राजमार्गों का निर्माण रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है जिससे उत्तरोत्तर प्रदूषण कम होगा।

जून 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो पर्यावरण और वन के क्षेत्र में युवाओं के बीच कौशल विकसित करने पर आधारित है।

पुराने कोयला बिजलीघर स्वास्थ्य की दृष्टि से तय मानकों से कहीं अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं, ऐसे कोयला बिजलीघरों को बंद कर देना चाहिए। ईंट–भट्ठों को उनमें से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जिग जैग तकनीक अपनानी चाहिए। हवा को स्वच्छ करने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है। कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे हम पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और आर्थिक लागत दोनों को कम कर सकते हैं। हमें पानी और ऊर्जा का सीमित इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे उत्पाद या कारोबार में निवेश करना चाहिए जो स्वच्छ और नवीकृत ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देते हों।

पिछले पांच वर्षों में उठाए गए कदम अब परिणाम दे रहे हैं। जनभागीदारी वायु प्रदूषण को समाप्त करने और सामान्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए अवश्यक है। वर्ष 2014 में खराब वायु गुणवत्ता वाले दिवस 246 थे जो कि वर्ष 2020 में घटकर 200 से नीचे आ गए हैं। सामान्य से अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिवस 2016 के 108 से बढ़कर 2018 में 159 हो गए। भारत में बीएस IV ईंधन मानक को बढ़ाकर बीएस VI कर दिया गया है। पटाखा तथा पराली जलाए जाने से कुछ समय के लिए वायु प्रदूषित हो जाती है। हालांकि पराली के जलाने की घटना में 25–30 प्रतिशत की कमी हुई है।

फिर भी अभी बहुत किया जाना शेष है। कोरोना वायरस का प्रकोप यह बता रहा है कि मानव स्वास्थ्य के साथ–साथ पशु–पक्षियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य की अनदेखी के कैसे घातक नतीजे हो सकते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ठीक ही लिखा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने अन्य सभी प्रजातियों पर आधिपत्य जमाकर पूरी धरती का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। हमारे कदम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इतना शक्तिशाली होते हुए भी हम अभी तक एक वायरस के सामने लाचार हैं। आखिर हम सभी मनुष्य जीवधारी मात्र हैं और अपने जीवन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर हैं। प्रकृति को नियंत्रित करने और अपने लाभ के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की तैयारियां छोटे से विषाणु के एक ही प्रहार से तहस–नहस हो सकती है। प्रकृति यह संदेश देती रही है कि उसके सामने हम सभी बराबर हैं। जाति, पंथ, क्षेत्र या अन्य किसी मानव निर्मित भेदभाव को वायरस नहीं मानता। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्थात 'वसुधैव कुटुंबकम' के सद्विचार, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, आज के संदर्भ में जितना सार्थक है उतना पहले कभी नहीं रहा। हम सब वहीं तक सुरक्षित हैं जहां तक हम दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते है। हमें केवल मनुष्यों की ही नहीं, अपितु पेड़–पौधों और पशु–पक्षियों की सुरक्षा भी करनी है। प्रकृति हमें यह स्मरण कराना चाहती है कि हम समानता और परस्पर–निर्भरता के मूलभूत जीवन मूल्यों को स्वीकार करें। जलवायु संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और बेहतर साझा भविष्य के निर्माण में यह सबक हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

जलवायु परिवर्तन इस समय की एक बडी वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के नुकसान और उच्च उत्सर्जन स्रोतों के प्रभाव अब हमें रोजमर्रा के जीवन में दिखने लगे हैं। विनाशकारी बाढ़, अनियमित बारिश, लू के थपेड़े, चक्रवाती तूफान, समुद्र का बढ़ता जलस्तर व पिघलते ग्लेशियर इसका प्रमाण हैं। अब तो जूनोटिक रोगों (जानवरों से मानवों में आने वाले संक्रामक रोग) में बढ़ोत्तरी भी इसी समस्या का नतीजा है। कोरोना वायरस इसी की देन है। इसके कारण हुई आर्थिक चोट पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने जलवायु प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के लिए जलवायु परिवर्तन कितनी गंभीर समस्या है। आने वाले वर्षों में इसके गंभीर प्रभाव दिखेंगे। यूएनडीआरआर की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार मौसम की अति दशाओं की आवृत्ति और प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही है। पिछले दशकों में इसी के चलते 90 प्रतिशत से अधिक आपदाएं आई हैं। किंतु दुर्भाग्य है कि चेतावनियों के बाद भी हम जलवायु परिवर्तन के खतरनाक संकेतों की अनदेखी करते रहते हैं। अब कोई शक नहीं बचा है कि जलवायु परिवर्तन हो

रहा है। इसका कारण है, औद्योगिक विकास के लिए जलाए गए कोयले और पेट्रोलियम का हवाई कार्बन कचरा। जलवायु के कार्बन द्वारा गरम होने की बात किसी न किसी रूप में विज्ञान को 150 साल से पता है, लेकिन हम अपने विकास के लिए खोद–खोदकर कोयला और पेट्रोलियम निकालकर जला रहे है। परिणामतः आज मानव के सामने जलवायु परिवर्तन से बड़ा कोई विषय नहीं है।

इसके मद्देनजर हमें उन तालाबों को फिर से जीवित करना होगा जो विकास की दौड़ में दफन हो गए या अतिक्रमित कर लिए गए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय दिल्ली में 363 गांव थे, जिनके आसपास 1012 तालाब थे। अब कुछ गिने–चुने तालाबों को छोड़कर बाकी सब धीरे–धीरे खत्म हो गए। कई तालाबों पर तो आलीशान कॉलोनियां बस गईं। जो तालाब बचे भी हैं, उनमें से ज्यादातर लगभग सूख चुके हैं।

अगर हमारे शहरों में बारिश के पानी को सही तरीके से संचित किया जाए तो पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है। किंतु फिलहाल स्थिति डरावनी है। विश्व भर में पेयजल की कमी अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसका कारण पृथ्वी के जलस्तर का लगातार नीचे होते जाना भी है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार 2030 तक देश के लगभग 40 प्रतिशत लोगों तक पीने के पानी की पहुंच खत्म हो जाएगी। वर्तमान में ही करोड़ों भारतीयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। देश की आबादी में प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ की वृद्धि हो रही है। ऐसे में वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 180 करोड़ के करीब पहुंचने का अनुमान है। जाहिर है, सभी नागरिकों के लिए देश के हर क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा क्योंकि जल के स्रोत तो सीमित हैं तथा नए स्रोत पैदा हो नहीं सकते।

जल संकट से निपटने के लिए यथाशीघ्र कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। जैसे कि विभिन्न फसलों के लिए पानी की कम खपत वाले तथा अधिक पैदावार वाले बीजों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के स्थान पर देशी गोवंश के गोबर और गोमूत्र पर आधारित उर्वरकों और कीटनाशकों को बढ़ावा देना होगा जिससे विषमुक्त आहार की पैदावार बढ़े और धरती पर मित्र जीवाणु और केंचुए बढ़ें ताकि जल की खपत कम हो सके। जहां तक संभव हो सके, ऐसे खाद्य उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पानी का कम से कम प्रयोग होता है।

यह काम धीरे–धीरे ही हो सकता है। इसलिए यह और जरूरी हो जाता है कि इस दिशा में काम तत्काल शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक ही भूभाग पर एक ही समय पांच या छह फसलें ली जा सकती हैं। इससे पानी की खपत उतनी ही होगी जितनी एक फसल को जरूरत होती है लेकिन उत्पादों की संख्या पांच या छह हो जाएगी, उत्पादन पांच गुना और जल का प्रयोग लगभग बीस प्रतिशत। किसानों की मेहनत उतनी ही और लाभ पांच गुना। अधिकांश फसलों के उत्पादन के लिए वास्तव में अधिक जल की जरूरत नहीं होती है, फसलों को मात्र अपनी जड़ों के आसपास नमी चाहिए होती है जिसके सहारे वे अपना भोजन भूमि में ही उपलब्ध उर्वरकों और लवणों के रूप में खींच सकें।

विश्व में उत्पादित होने वाला लगभग 30 प्रतिशत खाद्यान्न खाया नहीं जाता, यह बेकार हो जाता है। अर्थात इसके उत्पादन में प्रयुक्त पानी भी व्यर्थ चला जाता है। इन खाद्यान्नों को बेकार होने से बचाकर काफी हद तक भुखमरी, कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

देश का मतलब देश के लोगों से है तो स्वतः समझ में आने लगता है कि देश की तरक्की देश के लोगों की तरक्की से है और लोगों की तरक्की का मतलब सबकी तरक्की, विकास में सबकी भागीदारी। आर्थिक तथा श्रम सुधारों, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता के प्रति जागरूकता, पर्यावरण और जल संवर्द्धन के प्रयास से विकास करने का कौशल मोदी सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर भी मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया और उम्मीद है कि लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बढ़–चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तो अग्रसर है ही, विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

जल आजीविका का आधार है। यह भोजन एवं पोषण के मूल में है। हमारी अर्थव्यवस्था का विकास और पानी का आपस में गहरा नाता है। बेशक अभी करने को बहुत कुछ है, लेकिन बिहार ने देश को 'जल, जीवन, हरियाली' अभियान के माध्यम से जो दिशा दिखाई है, उससे देश को जागरूक करने में काफी मदद मिल सकती है।

आज स्थिति यह है कि जितना जल दोहन हो रहा है उसकी तुलना में जल संरक्षण बहुत कम है। भारत की बढ़ती आबादी के कारण जल संसाधनों पर बेतहाशा बोढ़ बढ़ रहा है। पूरे विश्व में जितना भूजल प्रतिवर्ष निकाला जाता है उसका लगभग 25 प्रतिशत भारत ही खर्च करता है। नीति आयोग के अनुसार भारत के 21 शहरों का भूजल प्रदूषित हो रहा है जिनमें दिल्ली–एनसीआर भी शामिल है। नौएडा जैसे बड़े शहरों का भूजल स्तर पिछले पांच वर्ष में करीब 1.5 मीटर नीचे जा चुका है। अगर परिस्थितियां नहीं सुधरीं तो भारत की करीब 40 प्रतिशत आबादी को वर्ष 2030 तक साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार 'हर घर–नल से जल' योजना के

माध्यम से इस प्रयास में जुटी है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ जल की पहुंच हो। इन प्रयासों के साथ–साथ हमें जल के लिए जन जागरूकता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जन जागरूकता के अभाव में स्वच्छ जल के दुरुपयोग की आशंका बढ़ेगी।

हम सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। पिछले कुछ दशक से वैश्विक स्तर पर पानी की बढ़ती खपत और इस कारण से आसन्न संकट भी विमर्श का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यहां तक चेताया है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की कमी के कारण ही होगा। इसके बावजूद जल संरक्षण की दिशा में लोगों में अपेक्षित गंभीरता का अभाव दिखता है। इस पर बातें तो खूब होती हैं कि क्या–क्या किया जाना चाहिए, लेकिन कोई अपने स्तर पर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं दिखता है। हर नियम और हर व्यवस्था सरकारों के भरोसे छोड़ दी जाती है। अपने स्तर पर लोग न तो जल के बेतहाशा दोहन को लेकर सचेत हैं और न ही जल संरक्षण के प्रयासों की दिशा में। जब तक हम स्वयं जल संरक्षण की दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तब तक किसी सार्थक परिणाम की आशा नहीं की जा सकती है। न इसे सरकार के भरोसे छोड़ा जा सकता है और न ही सरकार अकेले यह कर सकती है। पानी प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं का हिस्सा है। समाज को पानी के संवर्धन व संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। ऐसा करना किसी अन्य पर नहीं बल्कि स्वयं पर उपकार होगा।

सरकार के स्तर पर जल चेतना व संरक्षण हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज में भी विभिन्न स्थानों पर जल संरक्षण के बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। अब अगर समाज व सरकार के प्रयासों में अटूट गठबंधन हो जाए तो एक नई जल चेतना जन्म ले सकती है। इस हेतु सरकार को कुछ ऐसे ठोस प्रयास करने होंगे जो समाज को सरकार के प्रति आकर्षित भी करें और सरल हों। अगर वर्तमान में जल को खर्च करने व संरक्षित करने के बीच की खाई को नहीं पाटा गया तो भविष्य में परिणाम भयावह हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि जल संरक्षण व उसके संवर्धन के कार्यों को प्रमुखता से लेते हुए उसमें तेजी लाई जाए। प्रत्येक भारतीय को यह अवश्य सोचना चाहिए कि वह प्रत्येक दिन कितना पानी अपने लिए खर्च करता है? साथ ही उसे ऐसे प्रयास करने चाहिए जो उपयोग किए गए जल की भरपाई कर सके। इसके लिए निजी जीवन में बदलाव आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 'लाइफ' अर्थात 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट' का मंत्र भी यही सीख देता है कि हम अपने रहन–सहन के माध्यम से भी जल संरक्षण के विषय को बल दे सकते हैं। नदीपुत्र रमन कांत जी ने ठीक ही लिखा है कि वर्चुअल वाटर अर्थात हम जो वस्तुएं उपयोग में लाते हैं, उनको बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी उपयोग में लाया जाता है। अगर हम अपने उपभोक्तावाद को सीमित करेंगे तो कहीं न कहीं जल संरक्षण के लिए यह हमारा अमूल्य योगदान होगा। आज जब भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है तो जी20 के एंगेजमेंट समूह सिविल20 के माध्यम से भारत के पास अवसर है कि वह अपने जल संरक्षण के अच्छे प्रयासों को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करे और उदाहरण बनकर सामने आए।

पिछले दो वर्षों से देश के कुछ हिस्सों में समय पूर्व गर्मी का ट्रेंड दिख रहा है। पिछले 20–25 सालों से वसंत ऋतु छोटी होती जा रही है। सर्दी के बाद सीधे गर्मी शुरू हो जाती है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। तापमान बढ़ने का असर इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि बारिश का पैटर्न बदल गया है। अरब सागर में तेज चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ गई है। वहीं हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हिंद महासागर का जलस्तर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से सीजन तेजी से बदल रहा है, जिसकी वजह से जीव–जंतुओं को उसके अनुसार खुद को ढालने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से कई जीव विलुप्त हो सकते हैं। फिर फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, गेंहूं उत्पादन कम होने की समस्या बढ़ रही है। गुठलीदार फलों के वृक्षों में फूल समय से पहले आ रहे हैं।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार लू ने 1998, 2002, 2010, 2015 और 2022 में श्रमिकों की काम करने की क्षमता, उत्पादकता को कम किया। साथ ही इसने पानी की उपलब्धता, कृषि और ऊर्जा प्रणालियों को प्रभावित करके बड़े पैमाने पर मृत्यु दर और भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि गर्मी के तनाव के कारण 2030 तक काम के घंटों में 5.8 प्रतिशत का नुकसान होगा।

बेशक भारतीय शहरों का स्वरूप पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदला है। हरियाली में कमी आ रही है। विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। इमारतों की संख्या और ऊंचाई बढ़ रही है। घरों एवं कारों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। पक्की सड़कों और फ्लाईओवर का विस्तार तेजी से हो रहा है। ऐसे में शहर को अब अर्बन हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। अगर हवा की गति कम है, तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते आसानी से देखा जा सकता है।

प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। ज्यादातर भारतीय शहर प्रदूषित हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों या पैमानों के हिसाब से देखें तो वाकई हमारे शहरों में ज्यादा प्रदूषण है। हमारे पैमाने थोड़े कमजोर हैं लेकिन हम अपने मानकों पर भी प्रदूषित हैं। समय–समय पर दिशा–निर्देश

जारी होते रहते हैं कि पीएम2.5 का क्या स्तर होना चाहिए, फिर भी हमारे शहरों में इसका स्तर ज्यादा पाया जाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें शहरों में ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के इलाकों, यहां तक कि गांव के स्तर पर भी कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण कम करने की योजनाएं अब केवल शहर केंद्रित न रहें, उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि राज्य स्तर पर एक्शन प्लान बनाए जाएं, मगर अनेक राज्यों में यह अब तक नहीं बना या बनाया जा रहा है। हर राज्य और शहर को अपनी–अपनी स्थिति को देखते हुए तय करना चाहिए कि प्रदूषण को कब तक कितना कम कर देना है। श्री विवेक चट्टोपाध्याय ने ठीक ही लिखा है कि अभी प्रदूषण घटाने का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वह पीएम पार्टिकल्स पर केंद्रित है। इसमें ओजोन, नाइट्रोजन व अन्य प्रदूषक तत्वों को भी लाया जाना चाहिए। योजना बना देना या दिशा–निर्देश जारी कर देना ही काफी नहीं है, जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी करनी पड़ेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होता है, इसके साथ ही प्रदूषण निवारण योजनाओं और किसने प्रदूषण घटाने के लिए कितना काम किया, इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिए। लोगों के सामने आना चाहिए कि किस शहर में प्रदूषण घटाने के लिए क्या किया गया और उसमें कितनी कामयाबी मिली। शहरों को एक–दूसरे से प्रदूषण घटाना सीखना होगा। कई शहरों में कूड़े के पहाड़ हट नहीं रहे हैं। सफाई का काम मौसमी नहीं है, यह काम साल भर समान रूप से चलना चाहिए, तभी नतीजे दिखेंगे। निरंतर काम और लगातार निगरानी से ही हवा सांस लेने लायक हो सकती है। भारत में चार हजार से ज्यादा शहर हैं, पर ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की उचित निगरानी नहीं हो रही है। यदि प्रदूषण को पैदा होने से पहले इसके स्रोत पर ही चोट पहुंचायी जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।

भारत सरकार हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन और हरित उपस्कर से संबंधित अनेक कार्यक्रम चला रही है। अक्षय ऊर्जा भारत के विकास का आधार बनती जा रही है और भारत विश्व के महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा परिवर्तनों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

# कार्यालय में अपनापन होता है

**रुचिका चौहान***

कार्यालय भी दूसरा घर होता है
सहकर्मी पुराना या नया होता है
इनमें होते हैं सब पराए
पर फिर भी अपनापन होता है।

कार्यालय में रोज होती है गॉसिप नई,
तो कभी होता है परिपत्र, नियम नया।
जो किसी को पसंद, किसी को नापसंद होता है,
पर फिर भी कार्यालय में अपनापन होता है।।

हमारे कार्यालय में भी रोज होता है नया संगम,
कभी छोटी टेबल कुर्सी के ऊपर होता है भूस्खलन।
सामने होती है तारीफ, पलटते ही बुराइयों का पुराण होता है,
पर फिर भी कार्यालय में अपनापन होता है।।

प्रभु कृपा, राम–राम होती है, किसी की प्यारी मुस्कान,
अंतहीन विमर्श किसी का, कोई बोलें काम पे दो ध्यान।।
कभी बातों–बातों में ही आपस में मन–मुटाव होता है,
पर फिर भी कार्यालय में अपनापन होता है।

एलटीसी मेडिकल दावे आदि, जब किए जाते जमा,
गलतियों, रुपयों का होता है गुणा–भाग घटा–जमा।
इसके चलते कभी यह, कभी वह सेक्शन रोशन होता है,
पर फिर भी कार्यालय में अपनापन होता है,
पर फिर भी कार्यालय में अपनापन होता है।।

* *एडमिन एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

# हमारा राष्ट्रीय पुष्पः कमल

गीता अरोड़ा*

वर्तमान में दुनियाभर में 200 से अधिक देश हैं और उनकी पहचान के सबसे प्रमुख माध्यम उनके राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। हमारे यहां भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनके अपने अलग अर्थ हैं जैसे राष्ट्रीय चिन्ह् (चार शेर) शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास आदि को दिखाता है, राष्ट्रीय पशु (बाघ) मजबूती को दिखाता है, राष्ट्रीय पुष्प (कमल) शुद्धता का प्रतीक है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद (बनयान) अमरत्व को प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय पक्षी (मोर) सुन्दरता को दिखाता है और राष्ट्रीय फल (आम) देश की ऊष्णकटिबंधीय जलवायु को बताता है। ये प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा हैं और प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव एवं देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं।

भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इस फूल के महान अर्थों और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा कमल को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अपनाया गया था। कमल एक पवित्र पुष्प है, प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेदों में भी कमल का फूल अर्थात पदम का गुणगान किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कमल धन की देवी 'लक्ष्मी' का आसन है। देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। इसके फूलों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का जन्म हुआ था। कमल बौद्धों के लिए भी एक पवित्र फूल है। बौद्ध धर्म में कमल शरीर, वाणी और मन की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह फूल सौंदर्य, दिव्यता, धन, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल संदेश देता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो आस–पास का वातावरण कलुषित होने के बावजूद कम और छोटा रहकर भी स्वामित्व संभव है। दूसरी तरफ कमल का फूल यह भी संदेश देता है कि जैसे कीचड़ में पैदा होकर कमल अपने ऊपर कीचड़ को चिपकने नहीं देता है, ठीक उसी तरह सदाचारी मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। कमल के फूल को आध्यात्मिकता, ज्ञान, पवित्रता, सुंदरता, आदि प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। कमल का फूल गंदे पानी के ऊपर तैरता है जो लगाव और इच्छा से मनुष्य को दूर रहने का संदेश देता है। कमल का फूल जल से उत्पन्न होकर कीचड़ में खिलता है परंतु वह दोनों से निर्लिप्त रहकर पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मतलब यह कि बुराइयों के बीच रहकर भी व्यक्ति अपनी मौलिकता और पवित्रता को बरकरार रख सकता है। कहते हैं कि कमल के फूल की ही तरह सृष्टि और इस ब्रह्मांड की रचना हुई है और यह ब्रह्मांड इसी फूल की तरह है।

1857 में क्रांति की चिंगारी देश में हर तरफ धधक रही थी। क्रांतिकारियों द्वारा इस चिंगारी को भरपूर हवा दी जा रही थी, लेकिन इस चिंगारी को लहर बनाने के लिए जरूरी था कि आम नागरिक इस आंदोलन से जुड़ जाएं। दरअसल सभी क्रांतिकारी नेताओं की इच्छा थी कि आम लोगों को इस क्रांति का हिस्सा बनाया जाए, इसके लिए जरूरी था कि हर नागरिक के घर तक क्रांति का संदेश पहुंचाया जाए। लेकिन उस समय चिट्ठियों के माध्यम से यह संदेश पहुंचाना मुमकिन नहीं था। चारों ओर अंग्रेजों का कड़ा पहरा था और हर संदेश पढ़ा जाता था। झांसी में महारानी लक्ष्मी बाई और उनके साथियों ने इसके लिए एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था। महारानी लक्ष्मीबाई ने लोगों तक क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए दो प्रतीक चिन्हों को चुना। ये प्रतीक चिन्ह थे – रोटी और खिला हुआ कमल। इतिहासविद् श्री नवीन चंद पटेल के अनुसार 'हर घर में बनने वाली रोटी और तालाबों में खिलने वाला कमल', क्रांति का प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है यह अंग्रेजों के लिए सोचना मुश्किल था। लोगों ने एक दूसरे के घर तक रोटी और कमल पहुंचाया तो क्रांति का संदेश घर–घर तक पहुंच गया। रोटी और कमल को चुनने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण था।

* *पर्यवेक्षक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

रोटी इस बात का प्रमाण थी कि आपको अपने लिए भोजन और रसद की तैयारी भी रखनी होगी क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। इसी तरह कमल को सुख और समृद्धि के प्रतीक के रूप में चुना गया था। इसके माध्यम से यह संदेश पहुंचाया गया कि अगर पूरी ताकत से युद्ध लड़ा गया तो अंग्रेजों को भगा दिया जाएगा और सुख–समृद्धि वापस आ जाएगी। रोटी और कमल की जोड़ी ने जो कमाल किया था उसी को आज हम 1857 की क्रांति के रूप में याद करते हैं। वहां से उठी क्रांति की लहर ने ही 1947 में हमें आजादी दिलाई थी जिसका अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया के शक्तिशाली समूहों में से एक समूह 'जी–20' की अध्यक्षता कर रहा है। भारतीय जी–20 अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट के लॉन्च के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस लोगो में कमल का प्रतीक इस समय में आशा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, 'दुनिया में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, कमल खिलेगा।' कमल, विश्व को एक साथ लाने में भारत की सांस्कृतिक विरासत और विश्वास को चित्रित करता है और 'वसुधैव कुटुम्बकम' विश्व के प्रति भारत की करुणा का प्रतीक है।

वैज्ञानिक रूप से कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा (Nelumbo nucifera) के नाम से जाना जाता है। नेलम्बो न्यूसिफेरा, जिसे पवित्र कमल, लक्ष्मी कमल, भारतीय कमल, या केवल कमल के रूप में भी जाना जाता है, नेलुम्बोनेसी परिवार में जलीय पौधे की दो मौजूदा प्रजातियों में से एक है। इसे कभी–कभी बोलचाल की भाषा में जल लिली भी कहा जाता है, हालांकि यह अक्सर निम्फेएसी परिवार के सदस्यों को संदर्भित करता है। यह एक मात्र ऐसा फूल है, जिसके संस्कृत में सबसे ज्यादा नाम है, या फिर हम इन नामो को कमल के पर्यावाची शब्द भी कह सकते है। ये हैं – कमल, पद्म, पंकज, पंकरुह, सरसिज, सरोज, सरोरुह, सरसीरुह, जलज, जलजात, नीरज, वारिज, अंभोरुह, अंबुज, अंभोज, अब्ज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक, तामरस, इंदीवर, कुवलय, वनज। इसके अलावा कमल को फारसी भाषा में नीलोफर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे अंग्रेजी भाषा में इंडियन लोटस या सैक्रेड लोटस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं, जिन्हें चाइना में ईजिप्शियन, और चाइनीज वाटर–लिली के नाम से जाना जाता है।

कमल के फूल कई रंग के होते है। कमल सफेद, लाल, नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग में पाया जाता है। कमल का फूल दलदले पानी में बढ़ता है और शानदार खिलने के लिए सतह के ऊपर एक लंबे डंठल पर उगता है। कमल का तना मांसल और मोटा होता है और इसे प्रकंद कहा जाता है जो जलाशय के तल में कीचड़ में बढ़ता है। आम तौर पर कमल की अधिकांश जातियों में पंखुड़ियों की संख्या 16–36 के बीच होती है। मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) से एकत्र की गई एक गुलाबी डबल फूल वाली प्रजाति में 116–160 से पंखुड़ियों की अधिकतम संख्या दर्ज की गई, जिसे एन न्यूसीफेरा 'कृष्णा' के रूप में वर्णित किया गया है। कमल दिन में खिलने वाले फूल हैं, जो सुबह जल्दी खुलते हैं और मध्य दोपहर तक बंद हो जाते हैं। वे रात में पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। यह ब्लूम पैटर्न उनके जीवन भर जारी रहता है, जो आम तौर पर 3 से 5 दिनों का होता है। कमल का फूल जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है। अक्टूबर के समय में इसमें फल बनने लगते हैं। कमल के आकार की एक विस्तृत श्रृंखला हैं जिसमें इनकी ऊंचाई 18 से 60 इंच तक होती है। छोटे कमल की किस्में 2 से 3 इंच व्यास वाली पत्तियों के साथ 8 से 12 इंच लंबी हो सकती हैं। कमल के डंठल के महीन रेशे से वस्त्र भी बनाए जाते है जो साधारण वस्त्र से 10 गुणा महंगे होते है।

इसका बहुगुणीय औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। कमल फूल का प्रत्येक हिस्सा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह कई प्रकार की बीमारियों से दूर रखता है। अगर इसका इस्तेमाल सही विधि से किया जाए तो कमल के फूल, बीज और जड़ों के फायदे हैं। कमल के फूल में कैल्शियम और आयरन समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। यह गर्मियों के दिनों में शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। कमल की चाय पीने से सूजन जैसी कई समस्याओं में लाभ मिलता है। इसके लिए आप इसकी पंखुड़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं।

कहानी

# सदाचार का ताबीज

हरिशंकर परसाई*

एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है।

राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, ''प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ।''

दरबारियों ने कहा– ''जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है?''

राजा ने कहा – ''नहीं, ऐसा नहीं है। कभी–कभी जो मुझे नहीं दीखता, वह तुम्हे दीखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दीखते, पर तुम्हें दिखते होंगे!''

दरबारियों ने कहा – ''जी, दिखते हैं। पर वह सपनों की बात है।''

राजा ने कहा – ''फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ़ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। हम भी तो देखें कि कैसा होता है।''

एक दरबारी ने कहा – ''हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है, वह बहुत बारीक होता है। हमारी आँखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदती हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे ''विशेषज्ञ'' कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन (काजल) होता है कि उसे आँखों में आँजकर (लगाकर) वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विषेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढ़ने का काम सौंपें।''

राजा ने ''विशेषज्ञ'' जाति के पाँच आदमी बुलाए और कहा – ''सुना है, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है। पर वह कहाँ है, यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा–सा ले आना।''

विशेषज्ञों ने उसी दिन से छान–बीन शुरू कर दी।

दो महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए।

राजा ने पूछा – ''विशेषज्ञो, तुम्हारी जाँच पूरी हो गई ?''

''जी, सरकार।''

''क्या, तुम्हें भ्रष्टाचार मिला।''

''जी, बहुत सा मिला।''

राजा ने हाथ बढ़ाया – ''लाओ मुझे बताओ। देखूँ कैसा होता है।''

विशेषज्ञों ने कहा – ''हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है । पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है।

राजा सोच में पड़ गए। बोले – ''विशेषज्ञो, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है ?''

विशेषज्ञों ने कहा – ''हाँ, महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है।''

एक दरबारी ने पूछा – ''पर वह है कहाँ ? कैसे अनुभव होता है ?''

विशेषज्ञों ने जवाब दिया – ''वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में है।''

''सिंहासन में है!'' कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए।

विशेषज्ञों ने कहा – ''हाँ, सरकार सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगुने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है।''

विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए।

राजा ने कहा – ''यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञो, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है ?''

विशेषज्ञों ने कहा – ''हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है, तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजे हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है।''

राजा ने कहा – ''अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ। हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे।''

विशेषज्ञ चले गए।

राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। उस पर विचार किया।

विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।

एक दिन एक दरबारी ने कहा – ''महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने

* *प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार*

आपको झंझट में डाल दिया।''

राजा ने कहा – ''हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती।''

दूसरा दरबारी बोला – ''ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े।''

राजा ने कहा – ''पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए?''

दरबारियों ने कहा– ''महाराज, वह योजना क्या है, एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलट–फेर करने पड़ेंगे! कितनी परेशानी होगी! सारी व्यवस्था उलट–पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है, उसे बदलने से नई–नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट–फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए।''

राजा साहब बोले – ''मैं भी यही चाहता हूँ। पर यह हो कैसे ? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था; हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो।''

एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा – ''महाराज, एक कन्दरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आये हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बाँधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है।''

साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा। बोले – ''हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है ?''

साधु ने समझाया – ''महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है; बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल (पुर्जा/यंत्र) फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें 'आत्मा की पुकार' कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएँ ? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बँधा होगा, वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बाँध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है, महाराज!''

दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ–उठकर ताबीज को देखने लगे।

राजा ने खुश होकर कहा – ''मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन्, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। मगर हमें लाखों नहीं, करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएँ और अपनी देख–रेख में बढ़िया ताबीज बनवाएँ।''

एक मंत्री ने कहा – ''महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े ? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे।''

राजा को यह सुझाव पसन्द आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें पाँच करोड़ रूपये कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गए।

राज्यों के अखबारों में खबरें छपीं – 'सदाचार के ताबीज की खोज! ताबीज बनाने का कारखाना खुला!'

लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक–एक ताबीज बाँध दिया गया।

भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे।

एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा – ''देखें तो, यह ताबीज कैसे काम करता है!''

वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन दो तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी।

वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे पाँच रूपये का नोट देने लगे।

कर्मचारी ने उन्हें डाँटा – ''भाग जाओ यहाँ से! घूस लेना पाप है!''

राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था।

कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन इकत्तीस तारीख थी – महीने का आखरी दिन।

राजा ने फिर से पाँच का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया।

राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले– ''मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बाँधकर नहीं आए ?''

''बाँधा है, सरकार, यह देखिए! ''

उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया।

राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा कैसे हो गया ?

उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे – ''अरे, आज इकत्तीस है। आज तो ले ले!''

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी: मैडम भीकाजी कामा

सुधा वोहरा*

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ–साथ महिला क्रांतिकारियों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से अनेकों महिलाओं ने न केवल आजादी के रण में कूदने का फैसला किया अपितु सामाजिक कार्यों में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि उस समय हमारा देश सामाजिक स्तर पर भी पिछड़ेपन से जूझ रहा था। कुछ ऐसी भी महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुँचे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आजादी का बिगुल फूँका। मैडम भीकाजी कामा इसका अप्रतिम उदाहरण हैं।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख नेता रहीं भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बंबई (मुंबई) में पारसी समुदाय की एक अमीर एवं मशहूर शख्सियत भीकाई सोराब जी पटेल के घर हुआ था। उनका परिवार आधुनिक विचारों वाला था और इसका उन्हें काफी लाभ भी मिला और वो अपना ज्यादातर समय सामाजिक कार्यों में ही देने लगीं। भीकाजी कामा ने अपनी पढ़ाई एलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन से की। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के कारण अंग्रेजी भाषा पर उनका प्रभुत्व था। श्री रुस्तम के. आर. कामा के साथ उनका विवाह हुआ। वे दोनों अधिवक्ता होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, किंतु दोनों के विचार भिन्न थे। रुस्तम कामा अपनी संस्कृति को महान मानते थे, परंतु मैडम कामा अपने राष्ट्र के विचारों से प्रभावित थीं। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश लोग भारत के साथ छल कर रहे हैं। इसीलिए वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सदा चिंतित रहती थीं। इसके साथ ही उनमें लोगों की मदद और सेवा करने की भावना भी कूट–कूट कर भरी हुई थी। वर्ष 1896 में मुम्बई में प्लेग फैलने के बाद भीकाजी ने इसके मरीजों की सेवा की थी। बाद में वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थीं। इलाज के बाद वह ठीक हो गई थीं लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई थी। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन गईं और वहां भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए काम जारी रखा। वहाँ वह 'भारतीय होम रूल समिति' की सदस्या बन गईं। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा उन्हें 'इण्डिया हाउस' के क्रांतिकारी दस्ते में शामिल कर लिया गया। उन्होंने यूरोप में युवकों को एकत्र कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया तथा ब्रिटिश शासन के बारे में जानकारी दी। मैडम कामा ने लंदन में पुस्तक प्रकाशन का कार्य आरंभ किया। उन्होंने विशेषतः देशभक्ति पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन किया। वीर सावरकर की '1857 चा स्वातंत्र्य लढा' (1857 का स्वतंत्रता संग्राम) पुस्तक प्रकाशित करने के लिए उन्होंने सहायता की। मैडम कामा ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता के साथ ही अन्य अनेक प्रकार से भी सहायता की। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार–पत्र 'वंदेमातरम्' तथा 'तलवार (शुरु में मदन तलवार के नाम से प्रकाशित)' में प्रकट करती थीं। मैडम कामा की लड़ाई दुनिया–भर के साम्रज्यवाद के विरुद्ध थी। वह भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महत्त्व को खूब समझती थीं, जिसका लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी से साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को समाप्त करना था। उनके सहयोगी उन्हें 'भारतीय क्रांति की माता' मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। यूरोप के समाजवादी समुदाय में मैडम कामा का पर्याप्त प्रभाव था। यह उस समय स्पष्ट हुआ जब उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों

*आशुलिपिक ग्रेड–I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

को अपने देशभक्तों के बचाव के लिए आमंत्रित किया। वह 'भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन' के नाम से विख्यात थीं। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जोन ऑफ आर्क के साथ आया। यह इस तथ्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी कि मैडम कामा का यूरोप के राष्ट्रीय तथा लोकतांत्रिक समाज में विशिष्ट स्थान था। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित 'वन्देमातरम्' पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। सन् 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड नामक स्थान पर 'अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी परिषद' संपन्न हुई थी। इस परिषद के लिए विविध देशों के हजारों प्रतिनिधि आए थे। इसमें मैडम भीकाजी कामा ने कहा कि – "भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुँच रही है।" उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया कि – "आगे बढ़ो, हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का है।" यही नहीं, मैडम भीकाजी कामा ने इस कांफ्रेंस में 'वन्देमातरम्' अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहरा कर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। भीकाजी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। उसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। ऊपरी पट्टी में आठ कमल ब्रिटिश भारत के आठ प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। बीच की पट्टी में देवनागरी लिपि में वन्दे मातरम् लिखा हुआ था और सबसे निचली पट्टी में एक अर्धचंद्र और सूर्य चित्रित था। यह माना जाता है कि इस ध्वज को उनके द्वारा वीर सावरकर (विनायक दामोदर सावरकर) और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था। मैडम भीकाजी ही वो पहली भारतीय महिला हैं, जिन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा लहराया था। लेकिन यह दुःखद बात है कि वे आजादी के उस सुनहरे दिन को नहीं देख पाईं, जिसका सपना उन्होंने गढ़ा था।

भारत का राष्ट्र–ध्वज फहराते समय मैडम कामा ने घोषणा की – 'यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है। इसका जन्म हो चुका है। हिन्दुस्तान के युवा वीर सपूतों के रक्त से यह पहले ही पवित्र हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सब खड़े होकर हिन्दुस्तान की आजादी के इस ध्वज की वंदना करें', और सभी ने खड़े होकर ध्वज वंदना की। मैडम कामा को 'क्रांति–प्रसूता' कहा जाने लगा। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। मैडम कामा ने लंदन में श्रेष्ठ समाज सेवक दादाभाई नौरोजी के यहाँ सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया। उन्होंने लंदन से लेकर जर्मनी और अमेरिका तक का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। तथ्यों के मुताबिक भीकाजी हालांकि अहिंसा में विश्वास रखती थीं लेकिन उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज उठाई और नारा दिया – आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। धीरे–धीरे मैडम कामा की क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ती गईं। इससे पहले कि अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार करे, वे फ्रांस चली गई तथा वहाँ से 'वन्दे मातरम्' नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। अपने सम्पादकीय में वे कितनी उग्र भाषा का प्रयोग करती थीं, इसका एक उदाहरण इस प्रकार है: धीरे–धीरे गोली चलाना सीख लो। अब वह समय ज्यादा दूर नहीं, जब तुम्हें अपनी प्रिय हिन्दुस्तानी सरजमीं से अंग्रेजों को मार भगाने के लिए कहा जाएगा। इसी कालावधि के दौरान युवा क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा जी द्वारा 01 जुलाई 1909 की शाम को कर्जन वायली का वध कर दिया गया और 17 अगस्त 1909 को लन्दन की पेंटविले जेल में फाँसी पर लटका कर मदनलाल ढींगरा जी की जीवन लीला समाप्त कर दी गयी। मदन लाल ढींगरा जी की स्मृति में उन्होंने 'मदन तलवार' नामक प्रत्रिका का प्रकाशन सितंबर 1909 में आरंभ किया। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान प्रत्रिका का प्रकाशन उन्हें काफी कष्ट झेलने पड़े। भारत में उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें एक देश से दूसरे देश में लगातार भागना पड़ा। वृद्धावस्था में वे भारत लौटीं तथा 13 अगस्त 1936 को बम्बई (वर्तमान मुम्बई) में गुमनामी की हालत में उनका देहांत हो गया। ऐसी महान समाजसेविका, त्याग की मूर्ति, सच्ची राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा जी को शत–शत नमन।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# वैश्विक लोकतंत्र में सत्ता लोलुपता से बढ़ती अनैतिकता

**बीरेंद्र सिंह रावत***

विश्वभर में प्रचलित विभिन्न शासन प्रणालियों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सबसे अच्छा समझा जाता है क्योंकि इस शासन प्रणाली में कुछ ऐसे गुण पाये जाते हैं जो अन्य शासन प्रणालियों में नहीं हैं। ये गुण हैं: (i) जनमत पर आधारित शासन – यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान रखा जाता है; (ii) समानता और स्वतंत्रता का पोषक – लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेद–भाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है; (iii) यह टकरावों को टालने – सँभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफी विचार–विमर्श के बाद ही निर्णय लिये जाते हैं जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है, इससे टकराव भी टल जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही है। आइसलैंड की संसद विश्व की प्राचीनतम संसद है, ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और स्विट्जरलैंड की संसद को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है।

एक लोकतांत्रिक सरकार के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक–दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक–दूसरे पर आश्रित हैं, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति–निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है, तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढाँचा (सिविल सेवा के सदस्य) भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं लेकिन जो लोग रोज–रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है।

सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। कार्यपालिका के अनेक प्रकार होते हैं जैसे कि अध्यक्षात्मक, अर्ध–अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। अर्ध–अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में, अक्सर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के होते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग–अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री या चांसलर तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है।

* *वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, और पुर्तगाल सहित दुनिया के अधिकतर देशों में यह व्यवस्था है।

आबादी की दृष्टि से भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील विश्व के क्रमशः चार सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। परंतु विश्व के दूसरे बड़े लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जो खुद को विकसित लोकतंत्र और विश्व शांति का झंडाबरदार समझता है, में जनवरी 2021 में और विश्व के चौथे बड़े लोकतंत्र ब्राजील में जनवरी 2023 में ऐसी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिनसे लोकतंत्र शर्मसार हुआ। यह और भी आश्चर्यजनक एवं स्तब्ध करने वाली बात रही कि दोनों ही देशों में इन घटनाओं के पीछे सत्ता में रहते हुए चुनाव हारने वाले नेताओं का हाथ रहा। दरअसल, 03 नवंबर 2020 (अमेरिका में चुनाव के लिए दिन और महीना बिलकुल तय होता है। यहां चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान होता है। हालांकि यहां 60 दिन पहले वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अवधि में अमेरिका से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन वोट डाल सकता है।) को राष्ट्रपति चुनाव के कुछ दिन बाद ये तय हो चुका था कि जो बाइडेन ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बनेंगे, हुआ भी कुछ वैसा ही। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को 306 और रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले। नतीजे साफ होने के बावजूद ट्रंप ने हार नहीं कबूली। उनका आरोप था कि वोटिंग के दौरान और फिर काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इसके कारण कई राज्यों में केस दर्ज कराए। ज्यादातर में ट्रंप समर्थकों की अपील खारिज हो गई थी और दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। वोटिंग के 64 दिन बाद 06 जनवरी 2021 को जब कैपिटल हिल (अमेरिका की संसद) में इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगाने की ये अंतिम तैयारी थी तभी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक प्रदर्शन करते हुए हाथों में हथियार लेकर वहाँ पहुंच गए। उन्होंने मार्च निकाला, नारेबाजी की, और जल्द ही दंगाइयों में तब्दील हो गए। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और सीनेट पर कब्जा करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी।

वाशिंगटन पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल चार लोगों की मौत हुई, इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थीं। हिंसा के बाद वाशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस घटना की निंदा की, साथ ही इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए। हालांकि, जब वाशिंगटन में पूरा बवाल चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप शांत रहे. लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने समर्थकों से घर वापस जाने की अपील की। लेकिन इस वीडियो में भी वो चुनाव को लेकर फर्जी दावे करते नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो को भी हटा दिया गया। निवर्तमान पराष्ट्रपति माइक पेंस पर ट्रंप और रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से काफी दबाव बताया जा रहा था। माइक पेंस ने जारी बयान में कहा था कि उनकी औपचारिक भूमिका वर्ष 2020 के चुनावों में जो बाइडेन की जीत को पलटने की अनुमति नहीं देती। यह बयान ऐसे समय आया था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में अपनी रैली में समर्थकों से कहा था कि अगर पेंस चुनाव परिणामों को अस्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत निराशा होगी। जब सुरक्षाबलों ने कैपिटल हिल को ट्रंप समर्थकों के कब्जे से खाली करवा दिया, उसके बाद एक बार फिर आगे की कार्यवाही शुरू हुई। यहां सदन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने इस पूरे विवाद की निंदा की और कहा कि हिंसा से कभी किसी की जीत नहीं होती है। अमेरिका में इस तरह के बवाल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। विश्व के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र अमेरिका के इतिहास में यह एक अप्रत्याशित घटना थी, जिससे पूरा विश्व हतप्रभ रह गया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत अन्य कई राष्ट्र प्रमुखों ने इस हिंसा की निंदा की और अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। अमेरिका में हुई इस हिंसा को लेकर वहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि लोकतंत्र बचाने के लिए अमेरिका को अच्छे लोगों की जरुरत है। कैपिटल हिल में जो हुआ वह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है।

इसे संयोग कहा जाए या साजिश या फिर दोनों, इस घटना के ठीक दो साल दो दिन बाद 08 जनवरी 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में ठीक इसी प्रकार की घटना से लोकतंत्र को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। कैलेंडर वर्ष के पहले महीने जनवरी में जब पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं तब कुछ सत्ता–लोलुप राजनेता सत्ता में बने रहने के लिए षड़यंत्र रचते रहते हैं। जनवरी 2021 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वाशिंगटन में उत्पात मचाया तो 08 जनवरी 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थकों ने भी वहाँ की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्टर्स के लिए बने भवनों मे तोडफोड़ करते हुए बलपूर्व प्रवेश किया और काफी उत्पात मचाया। हरे और पीले रंग का राष्ट्रीय झंडा उठाए हजारों लोगों ने संसद भवन पर हमला बोल दिया। उन्होंने इमारत की खिड़कियां तोड़ दीं, फर्नीचर उलट–पलट दिया, कंप्यूटर और प्रिंटर फेंक दिए और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पलट दी। अदालत परिसर में लगी एक ऐतिहासिक प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल, ब्राजील में दो महीने पहले अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। दो चरणों के इस चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हार हुई थी। हालाँकि उनकी हार बहुत कम अंतर से हुई थी। विजयी लूला दा सिल्वा को 50.8 प्रतिशत मत मिले थे जबकि बोलसोनारो को 49.2 फीसदी। 30 अक्टूबर 2022 को आए चुनाव नतीजों को बोलसोनारो के समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। उनका आरोप था कि राष्ट्रपति चुनाव में लूला धांधली के कारण चुनाव जीते हैं, वे इसे बर्दाश्त नही करेंगे। यहाँ तक कि बोलसोनारो ने भी पद छोड़ने में काफी समय लगाया और एक बार तो लगने लगा था कि कहीं वह पद छोड़ने से इनकार ही ना कर दें। 01 जनवरी 2023 को लूला ने पद संभाला। इससे दो दिन पहले ही बोलसोनारो देश छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने ऑरलैंडो में अस्थायी निवास ले लिया। कुछ लोगों का कहना है कि बोलसोनारो की तरफ से अपने कट्टर समर्थकों को ऐसे संकेत दिए गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में धोखाधड़ी संभव है। हालांकि इस बारे में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका था। बोलसोनारो सहित उनके समर्थक चुनाव हारने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह दुष्प्रचार करते आ रहे थे कि ब्राजील के अभिजात वर्ग और मीडिया ने गोलबंदी कर चुनाव को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि चुनाव के परिणामों में भी हेरफेर की गई। इसी बात को अफवाह और झूठी खबर (फेक न्यूज) के तौर पर फैलाया गया और विजयी राष्ट्रपति लूला को सत्ता से हटाने का षडयंत्र रचा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैध रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का कुत्सित प्रयास किया गया। उनकी पार्टी ने लाखों वोटों को खारिज करने की अर्जी भी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था। बोलसोनारो के समर्थकों की माँग थी कि ब्राजील की सेना हस्तक्षेप कर राष्ट्रपति लूला को पदभार लेने से रोके। पुलिस ने जल्द ही इन दंगाइयों पर काबू पा लिया। ब्राजील के न्याय मंत्री फ्लावियो डीनो ने घटना के बाद कहा कि सारी इमारतों की जांच–परख की जाएगी, उंगलियों के निशान जुटाए जाएंगे, सीसीटीवी से लोगों की पहचान की जाएगी और सभी लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। फ्लावियो ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की कार्रवाई को आतंकी गतिविधि और तख्तापलट की कोशिश के रूप में देखा जाएगा. उन्होंने कहा, "वे ब्राजील के लोकतंत्र को बर्बाद करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें यह बात पूरी कठोरता और विश्वास से कहनी होगी। हम ब्राजील में राजनीतिक लड़ाई के लिए अपराध के रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं देंगे।" खबरों के अनुसार, दंगों के बाद लगभग 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

ब्राजील में हुई घटना की दुनियाभर के नेताओं ने निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर इन दंगों को "ब्राजील में लोकतंत्र और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर हमला" बताया. भारत ने भी ब्रासीलिया की घटना पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा, "ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों में दंगे और तोड़फोड़ की घटना से बहुत चिंता हुई। लोकतांत्रिक संस्थानों का सम्मान किया जाना चाहिए। हम ब्राजील सरकार को पूरा समर्थन देंगे।" संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने ब्राजील की संसद – कांग्रेस पर धावा बोले जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में जोर देकर कहा है कि इससे देश की मजबूत लोकतांत्रिक बुनियादों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने भी अपने कार्यालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में इन घटनाओं को "दिल दहला देने वाली" बताया। उन्होंने कहा, "मैं ब्राजीली लोकतंत्र के हृदय पर इस हमले की निन्दा करता हूँ" जोकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के एक सतत अभियान व हिंसा को भड़काने, और राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक तत्वों द्वारा हिंसा नफरत फैलाने की परिणति थी। ये तत्व लोकतांत्रिक चुनावों के परिणामों को

नकार कर, अविश्वास, विभाजन और विध्वंस के माहौल में ईंधन झोंक रहे थे। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के परिणामों को स्वीकार करना, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के केन्द्र में है। चुनावी धांधली के आधारहीन आरोपों से, राजनैतिक भागीदारी के अधिकार की अहमियत कम होती है। वोल्कर टर्क ने ये भी कहा कि "दुष्प्रचार और जोड़–तोड़ को रोका जाना होगा। मैं पूरे ब्राजील के राजनैतिक पटल के तमाम नेतागण से एक दूसरे के साथ सहयोग करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास बहाली की दिशा में एक साथ मिलकर काम करने, तथा जन संवाद एवं भागेदारी को बढ़ावा देने का आग्रह करता हूँ।"

इस पूरी कहानी में एक अहम पहलू यह भी है कि बोलसोनारो के बेटे एवं सांसद एडुआर्डो बोलसोनारो ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ कई बैठकें की थीं। वह ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीव बैनन और प्रचार सलाहकार जेसन मिलर से भी मिले थे। ब्रासीलिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले पाओलो कैलमन कहते हैं, 'बोलसोनारोवाद की सारी रणनीतियाँ ट्रंपवाद की नकल हैं। 08 जनवरी 2023 को जो हुआ वह ब्राजील की राजनीति में अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पर यह 06 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की घटना से लिया गया है।" बोलसोनारो को 'दक्षिण अमेरिका का ट्रंप' की संज्ञा देते हुए कैलमन ने कहा, "आज जो हुआ, वह लोकतंत्र को अस्थिर करने की एक और कोशिश थी।" इस तरह, दुनिया के चौथे बड़े लोकतंत्र ब्राजील की इस अप्रिय घटना में संयोग यह था कि यह दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र अमेरिका में घटी घटना के ठीक दो वर्ष दो दिन बाद घटी और इसमें भी अमेरिका की तरह पराजित पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया था। इस घटना से पहले बोलसोनारो के बेटे एवं सांसद एडुआर्डो बोलसोनारो और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच कई बैठकें होना साजिश की ओर इशारा करता है।

इसी तरह, चुनाव में मिली पराजय को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राजनैतिक दल भी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपनी पराजय का ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर फोड़ते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ईवीएम के अनेक फायदे हैं जिनमें से प्रमुख फायदे इस प्रकार हैः i) इसकी वजह से अवैध वोट डालने की समस्या पर रोक लगी है, क्योंकि इसमें अवैध वोट नहीं डाला जा सकता; ii) ईवीएम के कारण लाखों–करोड़ों की संख्या में बैलट पेपर छापने की जरूरत नहीं होती है, परिणामतः बैलट पेपर की छपाई, संग्रहण, वितरण और लाने–ले जाने पर होने वाले खर्च की बचत हुई है; और iii) बैलट पेपर की तुलना में ईवीएम से वोटों की गणना बहुत तेजी और आसानी से की जा सकती है। दरअसल, वर्ष 2017 के पूर्वाद्ध में देश के पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आते ही तमाम राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर बड़े जोर–शोर के साथ सवाल खड़े करने शुरु कर दिए। उनकी शंकाओं का निराकरण करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने 12 मई 2017 को ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन 03 जून 2017 को आयोजित होने वाली चुनौती को स्वीकार करने की 26 मई 2017 तक की निर्धारित समय सीमा में सिर्फ दो दलों (एनसीपी और सीपीएम) ने ही आवेदन किया जबकि आयोग ने चुनौती के लिए तत्समय सम्पन्न पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई 14 मशीनों को हैक करने के लिए दावेदारों को मुहैया कराने के लिए चुना था। 03 जून 2017 को आयोजित चुनौती में सीपीएम और एनसीपी चुनाव आयोग पहुंचीं लेकिन उन्होंने भी चुनौती में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और करीब दो घंटे के बाद दोनों दलों के सदस्यों ने कहा कि वे सिर्फ ईवीएम की तकनीक और प्रक्रिया को समझने आए थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में पराजित दलों/उम्मीदवारों द्वारा अपनी पराजय सहजता से स्वीकार नहीं कर पाना और चुनाव में धाँधली के अनर्गल आरोप लगा देना कहीं न कहीं आज के सभ्य समाज में हमारी सत्ता–लोलुप मानसिकता को उजागर करता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे और अमेरिका में नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक एवं ब्राजील में नवंबर 2022 से जनवरी 2023 तक चले इस तरह के अनर्गल आरोपों और उसके बाद अपनाए गए विरोध में फर्क यह रहे कि i) पराजय को स्वीकार करने में जहाँ भारत में विपक्षी दलों को परेशानी महसूस होती है, वहीं अमेरिका और ब्राजील में यह परेशानी सत्ताधारी दलों को थी, और ii) चुनाव प्रक्रिया का विरोध अमेरिका एवं ब्राजील में हिंसक हो गया था जबकि भारत में यह विरोध पूर्णतः अहिंसक रहता है। इन देशों में संविधान के तहत नागरिकों को

प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहें या फिर संवैधानिक अधिकारों के तहत मिली कोई और आजादी, जिसका दुरुपयोग करते हुए यह सब घटित होता है। शायद इसीलिए एक बार प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, इतिहासकार, लेखक और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि 'लोकतंत्र शासन की सबसे खराब प्रणालियों में से एक है लेकिन यह बस अपवाद स्वरूप समय–समय पर आजमाई गई अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है।' यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई खामियां एवं समस्याएं हैं, लेकिन अन्य प्रणालियां इससे भी खराब हैं।

अमेरिका और ब्राजील के उपर्युक्त घटनाक्रम अन्य लोकतंत्रों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें अपनी लोकतांत्रिक सफलताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कारगर बने रहने के लिहाज से राजनीतिक लोकतंत्र सबसे कठिन संस्थागत ढांचा होता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। इसलिए, लोकतंत्र का अस्तित्व बचाए रखना और लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। अन्यथा देर–सबेर ब्राजील जैसे हालात दूसरे देशों में भी उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। आखिर सवाल उठता है कि लोकतंत्र की सफल कार्यशैली का परीक्षण क्या है? लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव का संपन्न होना। इसके लिए हरेक देश में चुनाव संपन्न कराने के लिए स्वायत्त संस्थाएं कार्य करती हैं। भारत में यह काम भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन समय–समय पर निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा द्वन्द यह भी सवाल खड़ा करता है कि चुनाव कितना निश्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ है। अगर सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग की सांठगांठ को लेकर विवाद खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत विशेष निगरानी बनाये रखनी चाहिए और मामले को गंभीरता से देखना चाहिए।

वाशिंगटन में अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) के परिसर के बाहर 06 जनवरी 2021 को हुई हिंसा की जांच कर रही एक विशेष प्रवर समिति ने सोमवार, 19 दिसंबर 2022 को अपनी अंतिम सुनवाई की। जांच पैनल की उपाध्यक्ष लिज चेनी ने कहा कि साक्ष्य पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'घोर नैतिक विफलता' की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल घटना के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। जब हिंसा हो रही थी तो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पैनल ने संघीय अभियोजकों से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हमले में उनकी भूमिका के लिए उनपर बाधा और विद्रोह का आरोप लगाने के लिए कहा। ट्रंप के इरादे का वर्णन करने के लिए समिति ने बार–बार जोरदार भाषा का उपयोग करते हुए कहा कि उन्होंने 2020 के चुनाव को पलटने के अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए धोखाधड़ी के झूठे आरोपों को जानबूझकर प्रसारित किया और लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजनीतिक योगदान सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इन झूठे दावों ने उनके समर्थकों को छह जनवरी को हिंसा के लिए उकसाया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, छह जनवरी के दंगे की जांच कर रही हाउस कमेटी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई आपराधिक आरोपों पर आगे की कार्रवाई के लिए रेफरल को मंजूरी देने के लिए मतदान किया और गुरुवार, 22 दिसंबर 2022 को देर रात अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। हालांकि, यह न्याय विभाग पर निर्भर करेगा कि वह ट्रंप को दोषी ठहराए या नहीं।

इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार, 15 नवंबर 2022 की रात यह घोषणा की है कि वह 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। इसमें उनका एक आक्रामक रूढ़िवादी एजेंडा है जिसमें ड्रग्स बेचने के दोषी लोगों को फांसी देना षामिल है। निस्संदेह, लोगों की जिंदगी से खेलने वालों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए किंतु लोकतंत्र में सत्ता के षांतिपूर्ण हस्तांतरण का सम्मान न करने वालों को भी कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा 06 जनवरी 2021 को हुई हिंसा के मामले में कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। यदि अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर दुनिया की महाशक्ति के महापुरुष को 'महादंड' मिलता है तो यह बोलसोनारो जैसे अन्य सत्तालोलुप नेताओं के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण होगा और इस प्रकार वैश्विक लोकतंत्र में सत्ता लोलुपता से बढ़ती अनैतिकता पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# अमृत काल में भारत के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ

राजेश कुमार कर्ण*

अमृत काल एक वैदिक ज्योतिष शब्द है जो एक नए काम की शुरूआत करने के लिए सही समय का प्रतीक है। यही वह समय है जब उचित प्रयासों से बड़ी से बड़ी सफलता, उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष 2022 से लेकर आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक के 25 वर्षों के कालखंड को अमृत काल के रूप में मनाने का निर्णय लिया और देश की जनता का आह्वान किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई संकल्प लें, जो भारत को आगे बढ़ाए। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक और सरकार का हर विभाग एक लक्ष्य तय करे और संकल्प ले जो देश को आगे बढ़ाए। बेशक ये संकल्प लेने का वर्ष है और 25 साल का अमृत काल इन संकल्पों को सिद्ध करने का काल है। उन्होंने अगले 25 वर्षों के लिए देश के लिए एक नए रोडमैप का अनावरण किया। 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए अगले 25 साल बेहद अहम होने वाले हैं। भारत संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी–जान से जुटा हुआ भी है।

केन्द्र सरकार द्वारा आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए नई पहल, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के साथ भविष्य की योजना को आकार दिया जा रहा है ताकि 2047 में जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाए तब भारत दुनिया के शीर्ष पर स्थापित हो। इसी उद्देश्य से अगले 25 वर्ष को अमृत काल का नाम देकर अमृत यात्रा की शुरूआत की गई है।

अमृत काल में नए भारत का लक्ष्य अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। नए भारत को उनके सपनों का सशक्त एवं समृद्ध भारत बनाना है। एक ऐसा भारत जिसमें गरीब, किसान, पिछड़ा, आदिवासी सबके लिए समान अवसर हों। अमृत काल में भारत की सोच समावेशी है और यह करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है।

पिछले 75 वर्षों में असाधारण चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद दुनिया में सामर्थ्यवान भारत की जो तस्वीर उभरकर आई है, उसके आधार पर देश में वर्ष 1947 तक विकसित देश बनने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की पूरी क्षमता एवं अवसर है। वर्तमान में भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच वर्ष 2021–22 में भारत ने 83.57 अरब डालर का रिकार्ड एफडीआई प्राप्त किया। भारत का उत्पाद एवं सेवा निर्यात लगभग 668 अरब डालर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की डगर पर बढ़ रहा है। आज दुनिया के कुल 60 प्रतिशत टीकों का उत्पादन भारत में हो रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग 573 अरब डालर के मजबूत स्तर पर दिखाई दे रहा है जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। डिजिटल इंडिया मुहिम देश को डिजिटलीकृत एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। दुनिया के 40 प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान भारत में हो रहे हैं। भारत स्टार्टअप और साफ्टवेयर से लेकर स्पेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामर्थ्यवान देश के रूप में उभर रहा है। विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग सात प्रतिशत दर से बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे अधिक होगी।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि हमें विकसित देश बनने के लिए कितने और कैसे प्रयास करने होंगे तो हमारे सामने दुनिया के 38 विकसित देशों का संगठन 'ओईसीडी' (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) दिखाई देता है। भारत को इस समूह के सदस्य देशों के बराबर पहुंचने के लिए 25 वर्षों तक लगातार लगभग सात से आठ प्रतिशत की विकास दर से बढ़ना होगा, जो मुश्किल नहीं है।

भारत को विकसित देश बनाने में देश की नई पीढ़ी की अहम भूमिका होगी। देश में श्रम योग्य आयु वाली आबादी का बढ़ना 2045 तक जारी रहेगा। बढ़ती हुई श्रम

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

योग्य आयु वाली आबादी को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए कई रणनीतिक कदमों की आवश्यकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित नई पीढ़ी के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अपार अवसर उभरते दिख रहे हैं। वस्तुतः अब देश और दुनिया में परंपरागत रोजगारों के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं। आईटी, टेलीकॉम सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एफडीआइ के साथ रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करें कि नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के अपार अवसरों को ध्यान में रखकर सरकार देश की नई पीढ़ी को एआइ, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एवं अन्य नए डिजिटल कौशल के साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर दक्षता की योग्यताओं से सुसज्जित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। ऐसे प्रयासों से जहां देश की नई पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकेगी, वहीं इससे अर्थव्यवस्था भी तेज गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बीच भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन दुनिया में इसकी अहमियत बढ़ा रहा है। जैसे–जैसे भारत बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार में आगे बढ़ रहा है, वैसे–वैसे हमारी आर्थिकी को भी मजबूती मिल रही है। आज भारत सबसे तेज डिजिटलीकरण वाला देश है। भारत वैश्विक डिजिटल क्रांति का अग्रदूत बन गया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले दो वर्ष में भारत सरकार ने पीएलआइ स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटन सुनिश्चित किया है। इसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन से आयात की जाने वाली दवाई, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल हुए हैं। यह भी भारत की बढ़ती हुई वैश्विक आर्थिक साख की सफलता है कि रिजर्व बैंक ने गत वर्ष डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विदेशी व्यापार का लेन–देन रुपये में करने का प्रस्ताव दिया था। मॉरीशस और श्रीलंका द्वारा भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार शुरू करने के बाद अब 35 से अधिक देशों ने रुपये में व्यापार करने में रुचि दिखाई है। आने वाले वर्षों में इससे भारत को कई मोर्चों पर लाभ मिलेगा।

भारत को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं मेक इन इंडिया को सफल बनाने, उत्पाद लागत को घटाने, स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए शोध–अनुसंधान एवं नवाचार पर फोकस करने, श्रम कानूनों को और सरल बनाने, देश के के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज करने, लॉजिस्टिक की लागत कम करने साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र की नई अवधारणा और नए निर्यात प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक प्रयास जरूरी होंगे।

हर देश के पास इलाज के लिए एक ही विधा है जबकि हमारे पास एलोपैथी के साथ–साथ आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा जैसी पद्धतियां हैं। सुरक्षात्मक हेल्थकेयर के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान स्थापित की है तथा यह देश–दुनिया में एक जन–आंदोलन बन रहा है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारती पर्यटन के क्षेत्र में देशी–विदेशी पर्यटकों के लिए यहां अपार संभावनाएं है। भविष्य में भारत सरकार ने 15000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख लोगों पर 1 और शहरी क्षेत्रों में 1 लाख लोगों पर 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में इन केंद्रो पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या भी बढ़ाकर 2500 तक की जाएगी। अगले 10 वर्षों में वेयरहाउसों की संख्या 10 तक करने का टारगेट है। यह सभी प्रयास अंत्योदय की भावना और देश के प्रत्येक नागरिक तक शत–प्रतिशत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किए जा रहे हैं। इस अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए अगले 25 साल का विजन रखा है, जिसमें हम सबको आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करना है। यह योजना भी उसी विजन का एक छोटा सा हिस्सा है जो भारत के आम नागरिक को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रही है।

भारत की प्रगति के लिए यह भी आवश्यक है कि देश उन कमजोरियों को दूर करे, जो समाज की एकजुटता में बाधक हैं। जब तक देश में सामाजित सद्भाव प्रबल नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का समग्र उत्थान नहीं होगा। शहरों की दशा सुधारनी होगी। आज हमारे अधिकांश शहर बदहाली की कहानी कहते हैं। अनियोजित विकास के कारण उनमें सुविधाओं का स्तर विकसित देशों जैसा नहीं हैं।

बेशक भ्रष्टाचार भारत की प्रगति में एक बड़ा अवरोध है। एक समय यह कहा जाता था कि एक रुपये में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हाल के वर्षों में स्थिति

सुधरी अवश्य है और गरीबों के खातों में डीबीटी के जरिये सीधे पैसा जा रहा है, पर अभी भी भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के ठिकानों से जिस तरह नोटों के बंडल और अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिलने का सिलसिला कायम है, वह यही बताता है कि भ्रष्ट तत्वों के दुस्साहस में कोई कमी नहीं आई है। यह सिलसिला तोड़ना होगा। ज्वाबदेही के अभाव ने भ्रष्टाचार को बेलगाम और व्यापक बना दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे पूरी तरह से समाप्त करना तो संभव नहीं, किंतु शिक्षा, जवाबदेही, पारदर्शी और तकनीक के उपयोग से उस पर लगाम अवश्य लगाई जा सकती है। इस दिशा में यदि समय रहते दृढ़ इच्छाशक्ति और पर्याप्त उत्साह के साथ काम नहीं किया गया तो जनता का जो विश्वास पहले ही डगमगाया हुआ है, वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी राजनेता हेनरी क्ले ने उचित ही कहा है कि 'सरकार एक न्यास है एवं अधिकारी उसके न्यासी और न्यास एवं न्यासी लोगों के लाभ के लिए ही गठित होते हैं।' इन उपायों को अमल में लाकर हम वर्ष 2047 में आजादी के सौ वर्ष पूरा करने के अवसर पर आर्थिक शक्ति और विकसित भारत बनने के सपने को साकार कर सकेंगे।

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के एक स्वतंत्र, जीवंत, खुशहाल और समतामूलक भारत के निर्माण के लिए अपना हरसंभव योगदान देने के लिए तत्पर रहें।

यदि कोई एक निवेश ऐसा है जो सही मायने में समाज या देश का उत्थान कर सकता है तो वह है शिक्षा। अच्छी शिक्षा बेहतरीन डॉक्टर, शानदार इंजीनियर, शूरवीर सैनिक, अच्छे बैंकर और महान नेता आदि तैयार करती है। शिक्षा नागरिकों को निजी हितों से आगे बढ़कर देश और दुनिया के लिए कुछ करने का ज्ञान देती है। भविष्य के लिए ऐसी अनुकरणीय शिक्षा की पहली शर्त है पाठ्यक्रम को निरंतर अद्यतन बनाते रहना है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को नैनो टेक्नोलाजी, स्पेस टेक्नोलाजी, बायोसाइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएं।

भारत में मातृभाषा के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा हर हाल में मातृभाषा में ही देने का प्रावधान किया है, लेकिन अंग्रेजी का पोषक इको–सिस्टम उसे कितना सफल होने देगा यह सरकार के लिए भी चुनौती है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कई मातृभाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसका दोष केवल सरकार पर मढ़ना सही नहीं है। इसका पहला दोषी वह समाज है जो अपनी मातृभाषा की अवहेलना कर पशु–पक्षियों से भी नीचे गिर गया है क्योंकि पशु–पक्षी भी अपने जीवन पर तमाम संकटों के बावजूद अपनी मातृभाषा नहीं तजते। तथाकथित आधुनिकता की चकाचौंध से आकर्षित अभिभावक मातृभाषा की अपनी विरासत से बच्चों को दूर करते हुए जैसे उनके जीवन को भावना रहित रोबोट में तब्दील करते जा रहे हैं। मातृभाषा बोलना व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को आकार देने में मदद कर सकता है। यह हमारे अन्य कौशलों को बढ़ाता है जैसे साक्षरता कौशल, दूसरी भाषा सीखने का कौशल, साथ ही महत्वपूर्ण सोच। केन्द्र सरकार देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की दिशा में ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अवसर देने पर विचार किया गया है। बेहतर परिणाम के लिए यही आवश्यक है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। बहुभाषिकता के आलोक में मातृभाषा का आदर करते हुए भाषा की निपुणता विकसित करना अपरिहार्य है। अमृतकाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए आह्वान किया है। इसके लिए मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

हमें शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भरपूर निवेश करना चाहिए। अमृतकाल में यह भी आवश्यक है कि हमारे बच्चों को हमारी विरासत की पूरी जानकारी हो और वे हमारे पूर्वजों की उपलब्धि पर गर्व करें। अमृतकाल में भारत खुद को कहां खड़ा देखता है, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करेगा कि हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए कितना तैयार, आत्मविश्वास से ओतप्रोत और गर्व की भावना से भरपूर नागरिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का केंद्र हमारी स्कूली प्रणाली ही होगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें तो उसमें भारतीयता, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, कौशल विकास, शोध, अनुसंधान, नवाचार और अपनी विरासत पर गर्व का भाव कूट–कूटकर भरा हुआ है। स्वतंत्र भारत की यह पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो पूरी तरह से भारतीय संकल्पों, भारतीयता के भाव और भारतीय सोच के साथ भारत को विकसित देश बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अमृत काल के 25 वर्ष का सफर लंबा है और इसमें हर कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने सदैव चुनौतियों से पार पाते हुए विश्व को राह दिखाई है। यह भारत देश ही है जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है।

आजादी के 75वें वर्ष तक भारत ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं और हम भारत को शीर्ष देशों में रखने में सफल रहे हैं। सभी के प्रयासों से सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निस्संदेह आज विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा है। एक स्वतंत्र देश के रूप में विगत 75 वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की हैं।

आजादी से अब तक के इन 75 वर्षों में भारत ने कमोबेश जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और अनेक उपलब्धियां हासिल की है। औद्योगिकीकरण, विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में देश का परचम लहराया हैं। भारत नए सपनों, नए संकल्पों एवं नए संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने लोकतंत्र को सहेजा और उसका मान बढ़ाया। आज भारत औद्योगिक दृष्टि से बहु–विकसित, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से विशिष्ट और राजनीतिक दृष्टि से स्थिर है। इन 75 वर्षों में भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। यही वजह है कि दुनिया हमारी ओर विस्मयभरी उम्मीद से देख रही है और हमें आशा है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।

आजादी के समय अधिकांश भारतीय अशिक्षित तथा बेहद गरीब थे। यह उपलब्धि उल्लेखनीय है कि आजादी के समय जहां 12% आबादी साक्षर थी और जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, वहीं आज 77.7% आबादी साक्षर है और जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 वर्ष हो चुकी है। पश्चिमी देश कभी हमें सपेरों, आदिवासियों और अशिक्षितों का देश मानता था किंतु आज संसार में सर्वाधिक स्नातक भारत के पास ही हैं। आजादी के समय हम पेट भरने के लिए बाहर से अन्न मंगाते थे, लेकिन आज हम न केवल खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच चुके हैं, बल्कि दूसरे देशों को अनाज निर्यात भी करते हैं।

वर्ष 1947 में भारत की विकास दर महज 1% थी। आजादी के बाद कई योजनाबद्ध कार्यक्रम बने जिसके चलते भारत 10% से भी अधिक विकास दर हासिल कर सका। वर्ष 1947 में भारत की जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 87 गुना से ज्यादा बढ़कर वर्ष 2021–22 में 236.65 लाख करोड़ हो गई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1947 में महज 247 रुपए थी, वह 518 गुणा बढ़कर 1.28 लाख रुपए तक पहुंच गई है। विश्व की कुल सकल आय में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1947 में मात्र तीन प्रतिशत होती थी जो अब 7.74 प्रतिशत हो गई है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर 2022) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.3 प्रतिशत की गति से बढ़ा है। पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभरना दोहरी आश्चर्यजनक उपलब्धि है।

क्रय–शक्ति समानता के हिसाब से भारत का सकल घरेलू उत्पाद उसे अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अनुमान यही कहते है कि अन्य देशों का सकल घरेलू उत्पाद या तो स्थिर रहेगा या कम होगा, किंतु भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता रहेगा। इसका अर्थ है कि भारत अपनी बढ़त कायम रखेगा और मौजूदा कमियों को दूर करने के काम में तेजी लाएगा।

1947 में भारत एक असहाय राष्ट्र था लेकिन आज जब हम अपनी आजादी के 'अमृत काल' में प्रवेश कर रहे हैं तब हमारा देश काफी मजबूत और समृद्ध हो चुका है। आज भारत स्मार्टफोन डाटा का प्रमुख उपभोक्ता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में दूसरे स्थान पर है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे पायदान पर है। ऊर्जा का तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश होना भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को रेखांकित करता है। भारत में बड़ी स्टार्टअप क्रांति आकार ले रही है, जो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं। जीएसटी कर संग्रह के लिए क्रांतिकारी और सुगम सिद्ध हुआ है।

संचार क्रांति में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। इसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया है और लोगों का रहन–सहन जड़ से बदल दिया है। आज अपना देश डिजिटल प्लेटफार्म पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस साल 5जी कनेक्टिविटी की शुरूआत के साथ आने वाले वर्षों में डिजिटल सेवाओं का और विस्तार देखने को मिलेगा।

देश में इन वर्षों में हवाई अड्डों, सड़कों एवं रेल मार्गों का काफी विस्तार हुआ है। भारत की संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच अच्छा तालमेल बना है। पर्यटन, चाहे तीर्थ के लिए हो या अवकाश के लिए हो, आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत है और हवाई मार्ग सबसे महत्वपूर्ण घटकों

में से एक है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने आरसीएस–उड़ान योजना के तहत 50 मार्गों के लिए फंड भी दिया है और 10 नए मार्गों की सूची भी तैयार की है। बेशक, अमृत काल में भारतीय उड्डयन ऊंची उड़ान भर रहा है। भारत आज चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा नागरिक उड्डयन देश है। यहां नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने पहली बार उड़ान भरने वाले करोड़ों लोगों को जोड़कर न केवल हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण किया है, बल्कि इंजीनियरों, प्रशिक्षित तकनीशियनों और एयरलाइन सेवा कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, 'उड़ान' योजना ने उस संकल्प को पूरा किया है। देश भर में 9 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 73 हवाई अड्डों को शामिल करते हुए 467 उड़ान मार्गों का संचालन किया जाता है। 1.14 करोड़ से अधिक यात्रियों ने 2.16 लाख से अधिक 'उड़ान' योजना की उड़ानों में यात्रा की है।

देश में लोगों का जीवन–स्तर सुधरा है। पहले शहरी क्षेत्रों को भी कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती थी, किंतु अब गांवों में भी 15–20 घंटे बिजली मिल रही है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु शक्ति एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में भारत आज विश्व के देशों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। भारत आज पूरे विश्व में सौर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। अमृत काल में 24 घंटे बिजली मिलने की उम्मीद है।

अभी हमने अंतरिक्ष एवं रक्षा के हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है और इससे देश की ताकत काफी बढ़ी है। अभी भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थलसेना, पांचवीं बड़ी वायुसेना तथा सातवीं बड़ी जलसेना है। भारत ने अनेक मिसाइलों का विकास करके देश की प्रतिरक्षा तंत्र को काफी मजबूत किया है। रक्षा उपकरण के हम अब आयातक कम, निर्यातक ज्यादा हैं। अमृत काल में हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे तथा महाशक्ति होंगे। 1962 की लड़ाई में लाचार–सी नजर आने वाली हमारी सेना आज चीन को ललकारने का आत्मविश्वास दे रही है। डोकलाम, गलवान, तवांग में चीन को मुँह की खानी पड़ी। यद्यपि आज भी पाकिस्तान और चीन की ओर से खतरा यथावत कायम है परंतु देश की एकता और अखंडता के समक्ष हमारे शत्रु देशों द्वारा पेश की जानेवाली चुनौतियों के बावजूद आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।

देश में उद्योगों का जाल बिछ गया है। इन उद्योग–धंधों में न केवल उत्पादकता में वृद्धि हुई बल्कि गुणात्मक सुधार भी हुआ। सबसे बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश भारत में हुआ है। पूरी दुनिया भारत के आर्थिक विकास को एक प्रभावी उपलब्धि मानती है। जीएसटी के लागू होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तर्ज पर नियमित एवं व्यवस्थित हो गयी है। भारत को आज एक बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। 21वीं सदी को भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय औद्योगिक विकास के रूप में देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका तथा चीन के बाद भारत सबसे शक्तिशाली देश है जिसका ज्यादातर श्रेय हमारे उद्योग–धंधों, नई तकनीक तथा कुशल श्रमिकों को जाता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर भारतीयों का वर्चस्व बढ़ा है। उन्होंने अपनी सफलता के झंडे वहां गाड़ दिए हैं।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बहुत बढ़ी है और दुनिया भारत की आवाज आदर के साथ सुनती है। अमेरिका, रूस, जापान, इजरायल, यूरोप के अलावा बड़ी संख्या में इस्लामिक अथवा मुस्लिम बहुल देश भारत के करीब आए हैं।

हमारे देश के शिक्षित–प्रशिक्षित युवा दुनिया भर में अपने ज्ञान एवं हुनर का परचम लहरा रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में शिक्षा पर जो काम हुआ उसने तमाम कमियों के बावजूद कुछ बेहतर सूरत जरूर बनाई है।

इन 75 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए बड़े–बड़े अस्पताल खुले हैं, जहां कई अन्य देशों के मुकाबले सस्ते एवं बेहतर इलाज उपलब्ध हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारी औसत आयु बढ़ी है। शिशु एवं मातृ–मृत्यु दर घटी है।

वित्तीय सशक्तिकरण के साथ महिलाएं अब अपने परिवारों और समुदायों में निर्णयकर्ता की भूमिका निभा रही हैं। आज 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की सक्षम और सशक्त नारी शक्ति हर क्षेत्र में अवसर पा रही है और नए भारत के निर्माण में अपना महत्तम योगदान दे रही है।

हमारे शास्त्रों और इतिहास में ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो अपने शौर्य, विद्वता या प्रभावी प्रशासन के लिए जानी जाती थीं। आज एक बार फिर अनगिनत महिलाएं अपने चुने हुए क्षेत्रों में कार्य करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं। वे कॉरपोरेट इकाइयों का नेतृत्व कर रही हैं और यहां तक कि सशस्त्र बलों में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। अंतर केवल इतना है कि उन्हें एक साथ दो कार्यक्षेत्रों में अपनी योग्यता तथा उत्कृष्टता सिद्ध करनी पड़ती है– अपनी करियर में भी और अपने घरों में भी। वे शिकायत भी नहीं करती हैं, लेकिन समाज

से इतनी आशा तो जरूर करती हैं कि वह उन पर भरोसा करे। सामाजिक स्तर पर पुराने रीति–रिवाज और परंपराएं, पुरानी आदतों की तरह महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन महिलाओं में एक बेहतर भविष्य के निर्माण की आकांक्षा विद्यमान रही है। महिलाओं के लिए हानिकारक पूर्वाग्रहों और रीति–रिवाजों को कानून बनाकर या जागरूकता के माध्यम से दूर किया जा रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि वर्तमान संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है।

देश में महिला सशक्तिकरण पर खासा काम हुआ है। आज पंचायती राज अधिनियम 2006 देश में लागू है। आज देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14,53,973 है। इसका सार्थक असर सामाजिक सोच पर भी पड़ा है। नतीजतन, शिक्षा, खेल, सेना आदि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने समूचे देश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की। महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से सशक्त बनाने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे सरकार के अनेक कार्यक्रम सही दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं। केन्द्र सरकार ने नौसेना, सेना और सुरक्षा बलों के अब तक वर्जित माने जाने वाले क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब हम नभ, जल, थल की सुरक्षा में महिलाओं की सार्थक भागीदारी पाएंगे।

हमारे देश में महिलाओं को उनका हक राजनीति में बराबरी की हिस्सेदारी के बिना नहीं मिल सकता। अब तक राजनीति में महिलाओं का कारवां आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ सका है। मौजूदा लोकसभा की कुल 542 सीटों में मात्र 82 महिलाएं ही आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उम्मीद है, अगली लोकसभा में यह स्थिति सुधरेगी। हमारे यहां जमीनी स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व है। लेकिन जैसे–जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है। महिला सशक्तिकरण युगीन आवश्यकता है, पर यह आवश्यक प्रक्रिया तब तक अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ेगी जब तक विधान मंडलों में आधी आबादी की आनुपातिक मौजूदगी न हो। इन मंडलों को कानून बनाने का हक होता है। इस हक में आधी आबादी की हिस्सेदारी से नई और व्यावहारिक सोच की राह प्रशस्त होगी। इसके बिना महिलाओं की बराबरी की बात अर्द्धसत्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। महिला–पुरुष न्याय को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व में सहज नेतृत्व की भावना को जीवंत बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त करने और नौकरियां हासिल करने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अभी भी पीछे हैं। अपराध महिलाओं की राह का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। पोप फ्रांसिस, ईसाई धर्मगुरू ने ठीक ही कहा है कि 'स्त्रियों और मांओं के साथ हिंसा ईश्वर के प्रति अपराध है, क्योंकि उन्होंने भी एक महिला, एक मां के जरिए ही हमारी मानवीय स्थिति को ग्रहण किया।' देश में कानून–व्यवस्था के मोर्चे पर स्थिति सुधर रही है जिससे उम्मीद जगी है कि महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण, असमानता में उत्तरोत्तर कमी आएगी।

हमने पर्यावरण के मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, इसके रोड मैप पर तेजी से काम चल रहा है। जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन कम करने के मुद्दे पर देश में एकमत है, जो विकसित देशों में भी नहीं है। लेकिन वायु प्रदूषण में तो हमें विश्व का सबसे प्रदूषित देश माना जाता है। नदियों की भी हालत खराब है। हम यदि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं तो 21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमारे पास अक्षय ऊर्जा, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और प्रकृति–आधारित समाधानों के आधार पर सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर है। इससे रोजगार सृजित होंगे, पर्यावरण की रक्षा होगी और जलवायु संकट को कम करने में मदद मिलेगी। एक सन, एक ग्रिड के विजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत अगुआ देश है।

आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार की त्रिशक्ति का देश के गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है। ई–प्रशासन से लेकर ई–कॉमर्स और आईटी आउटसोर्सिंग से लेकर दूरसंचार तक कामयाबी के अनेक उदाहरण मौजूद हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां लोकतंत्र के चारो स्तंभों– न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया की स्वतंत्र सत्ता है, इन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। इन चारों स्तंभों का सुचारू रूप से संचालन भारतीय लोकतंत्र की विशेष उपलब्धि है। भारत ने लोकतंत्र को सहेजा और उसका मान बढ़ाया।

आज वैश्विक मंदी के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित है तथा विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही है तथा यह रफ्तार अभी और बढ़ेगी। जितने भी सूक्ष्म

आर्थिक मापदंड हैं– महंगाई, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, जीडीपी विकास दर, ब्याज दर, एफडीआई अन्तर्वाह आदि, भारत आज सभी में अच्छा काम कर रहा है। यही वजह है कि तमाम रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग में सुधार कर रही हैं। कंपटीटिवनेस सूचकांक भी यही बताता है कि कारोबार की दुनिया में हमारी संभावनाएं बढ़ रही हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग में भारत की स्थिति में लगातार सुधार आया है। 190 देशों की सूची में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत विश्व में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त करने में सफल हुआ है और इससे विकास की कई बाधाएं दूर हुई हैं। अमृत काल में इन आंकड़ों में अत्यधिक सुधार होने की उम्मीद है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की आर्थिक प्रगति को मजबूती दी है। भारत विश्व की जीडीपी का मात्र 3% हिस्सा है किंतु वह विश्व की आर्थिक प्रगति में 7 गुणा ज्यादा योगदान कर रहा है।

अब वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व अर्थतंत्र, रोजगार और वैश्विक नीतियों को निर्धारित करेगा। पूरी दुनिया भारत के विकास को एक प्रभावी उपलब्धि मानती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की विश्वसनीयता और लगभग सभी बहुपक्षीय मंचों पर भूमिका बढ़ी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूह जी–20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़े बदलाव की नींव तैयार करने का अवसर है। इसके माध्यम से भारत उन समस्याओं के समाधान की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने का प्रयास कर सकता है जिनसे ज्यादातर देश प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, महंगाई और मंदी की चुनौतियों के मद्देनजर सर्वसमावेशी आर्थिक पहल को लेकर आम सहमति बनाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिका–चीन ट्रेड वार और रूस–यूक्रेन युद्ध के माहौल में भारत के समक्ष यह दायित्व है कि वह पूरी दुनिया को 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के मंत्र के साथ आगे ले जाए।

चीन के प्रति नकारात्मकता पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है क्योंकि चीन ने अपने आर्थिक हितों को मानवीय जीवन से ऊपर रखा एवं आर्थिक हितों को कोई क्षति न पहुंचे इसलिए कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाओं को शेष विश्व से छुपाया जिसके परिणामस्वरूप पूरे विश्व को जान–माल की हानि उठानी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अधिकांश देश चीन का विकल्प ढूंढने के लिए बाध्य हैं और ऐसे में भारत एक मजबूत विकल्प हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में कौशल विकास एवं आधारभूत संरचना निर्माण के क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हुआ है। युवा आबादी, सस्ता श्रम एवं श्रम कानूनों में सुधार आदि के चलते भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रबल संभावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। अमृत काल में भारत के पास विश्व का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने का अवसर है। 'मेक इन इंडिया' की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर एवं निर्यातक देश बने। इस अभियान को सफल बनाकर हम भारत को विकसित देश बनाने का सपना साकार कर सकते हैं।

बेशक भारतीय सभ्यता दुनिया में अनोखी है। यहां हर धर्म, जाति और क्षेत्र के लोगों की कुछ मामलों में अपनी विशिष्ट पहचान है।

मेक इन इंडिया के इन तीन शब्दों ने दुनिया में देश का नाम ऊंचा कर दिया। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में शौचालय की सुविधा हमें सम्मान का जीवन दे रही है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार बन चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व हमारा परिवार एक सोच बन चुकी है।

भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर गया है। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत एक प्रकार से शब्द नहीं, 130 करोड़ भारतीयों का मंत्र बन गया है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दुनिया की पहल में भारत का प्रयास केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत का युवा इलेक्ट्रिक वाहन, जलवायु से जुड़ी तकनीक में निवेश कर रहा है। पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार और जीवनशैली सामान्य लोगों के जीवन का हिस्सा बन रही है। आज भारत का हर गांव खुले में शौच से मुक्त है, हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है, 99 प्रतिशत से अधिक घरों में रसोई में पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन है, हर परिवार बैकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।

आत्मनिर्भरता का संकल्प भी हम लें। अमृत काल में मेक इन इंडिया न केवल देश को शक्तिशाली बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाएगा। भारत अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हथियारों, रक्षा उपकरणों और विमानों पर खर्च करता है। इनका निर्माण भारत में शुरू होने से दूसरे देशों

पर सामरिक निर्भरता कम होगी, पूंजी की बचत होगी और देश में रोजगार बढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जरूरत ईंधन और खाद्य तेलों के क्षेत्रों में है। ऊंचे दामों पर इन दोनों के आयात से देश में महंगाई की समस्या बढ़ी है। यदि सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का तेजी से विकास करके ऊर्जा की निर्भरता को कम या समाप्त किया जा सकता है। इससे पूंजी की बचत होने के साथ तेल–निर्यातक देशों की तानाशाही से भी मुक्ति मिल सकेगी।

आजादी के समय भारत की लगभग तीन प्रतिशत भूमि पर बाढ़ आती थी, लेकिन अब भारत के 17 राज्यों में सूखा और 9 राज्यों में बाढ़ की मार रहती है। सूखे और बाढ़ का डिजास्टर यह बताता है कि भारत पानीदार देश है लेकिन सही प्रबंधन न होने के कारण बेपानी हो गया है। भारत की छोटी–छोटी नदियां जो नाले बन चुकी हैं, उन्हें फिर से नदियाँ बनाना होगा। नदियों को आपस में जोड़ना होगा ताकि नदियों में पर्याप्त पानी रहे।

शोध–अनुसंधान एवं नवाचार किसी भी विकसित देश की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस समय हम अपनी जीडीपी का मात्र 0.67 प्रतिशत ही शोध–अनुसंधान पर खर्च करते हैं। कोविड–19 भारत में नए चिकित्सकीय शोध–अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने का एक अवसर बन गया है। शोध–अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कुल जीडीपी का दो प्रतिशत तक इस पर खर्च करना होगा। शोध और विकास के लिए हमें जितना करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए। हालांकि इस दिशा में अब मजबूती से प्रयास हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान पर खर्च बढ़ाकर गरीबों की भुखमरी को मिटाने के साथ समृद्धि बढ़ाई जा सकती है।

आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक तौर पर भारत विश्व को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे शीर्ष पांच देशों में भारत भी शामिल है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन एवं विश्व स्तर पर सौर क्रांति का नेतृत्व करने से लेकर हरित क्षेत्र में विस्तार करने तक कई क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय काम किया है। जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपायों पर बेहतर नीतियां बनाने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, देशभर में सीएनजी और पीएनजी का नेटवर्क, पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण निर्धारित लक्ष्य से पहले हासिल करना, रेलवे के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के साथ 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य उसी कड़ी का हिस्सा है।

जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और साइबर अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन पर कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा आदि मुद्दों पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय ने काफी सराहा है एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हुई है। भारत को आज एक बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध कुछ तनावपूर्ण अवश्य हैं किंतु अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल सहित कई बड़े देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। पाताल से लेकर आकाश की बुलंदियों तक ब्रहमांड का शायद ही कोई कोना हो जहां भारतीय तिरंगा शान से न फहरा रहा हो।

इसके विपरीत कुछ ऐसी सच्चाई भी है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भूख, कुपोषण, गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, प्रदूषण आदि की समस्या से देश अभी भी पूर्णतः उबर नहीं पाया है। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र एवं भाषा के विभेदों को पाटना अभी बाकी है। भारत में अकूत संपत्ति और दरिद्रता दोनों समान रूप से विद्यमान हैं। यदि विकास से समृद्धि बढ़ी है तो आर्थिक विषमता भी बढ़ती चली गई है। इस गैर–बराबरी के कारण आज देश की बड़ी आबादी का जीवन–स्तर बद से बदतर होता जा रहा है क्योंकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर घर, बिजली–पानी, सैनिटेशन आदि सुविधाओं का भार उठा पाने में समर्थ नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की दयनीय दशा के कारण गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने और अपने इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसमें उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इन पर नागरिकों का हक भी है। दलित एवं आदिवासी समुदाय आज भी हाशिए पर रहने के लिए अभिशप्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, संपत्ति आदि मामलों में ये तबके बेहद पीछे हैं।

पिछले तीन सालों में कोरोना ने अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार–व्यवसाय पर गंभीर असर डाला। इससे निपटने की जरूरत है। इस समय देश की सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना और रोजगार के अवसर बनाना है, ताकि उन्हें रोजगार मिल सकें जो खाली बैठे हैं। गांवों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। देश के

हर गांव और कस्बे की शहरों से कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिरता जैसे विषय अहम हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ और प्रदूषण की खतरनाक दरों से जूझ रहे शहरों को व्यवस्थित रखने की चुनौती भी हमारे सामने है।

भारत की सबसे बड़ी विफलता स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित पेयजल की रही है। इन क्षेत्रों की मिलीजुली जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है। केंद्रीय विद्यालयों और केंद्रीय अस्पतालों का स्तर तो थोड़ा बेहतर है, पर राज्यों के स्कूल–कॉलेजों और अस्पतालों का स्तर बहुत अच्छा नहीं है।

सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां और भी कड़ी हैं। परिवारवाद, भाई–भतीजावाद और जातिवाद की जड़ें उखड़ने के बजाय गहरी होती जा रही हैं। सामाजिक समरसता की जगह महिलाओं तथा भिन्न मतावलंबियों के प्रति कड़वाहट फैल रही है। परिवारवाद, भाई–भतीजावाद और जातिवाद, योग्यता को अनदेखा करते हुए सगे–संबंधियों को आगे बढ़ाने का भ्रष्टाचार है। ये भारतीय समाज में संस्थागत रूप धारण कर चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, विचारधारा, प्रशासन, न्याय हो या विकास, देश का हर पहलू इन समस्याओं से प्रभावित हो रहा है।

देश के विकास को तभी समुचित गति मिल सकती है, जब उसके नागरिक अपना–अपना कर्तव्य समझ कर ईमानदारी से काम करें। जब तक देश के नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन शुरू नहीं करते, तब तक किसी के अधिकारों की रक्षा सुनिष्चित नहीं हो सकती। नारी सम्मान की बात हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति या अपनी भाषा और विरासत पर गर्व करने का प्रण हो, ये सब तभी पूरे हो सकते हैं, जब देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें और उनका तन्मयता से पालन करें।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जीआर फोर्ड का यह कथन सदैव प्रासंगिक रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा था, 'कोई महान राष्ट्र अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकता। जिन दायित्वों से आज मुंह मोड़ लिया जाए तो वे भविष्य में किसी विकराल संकट का रूप धारण कर लेते हैं।' हम भी एक महान राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं और ऐसा राष्ट्र समतावादी समाज की संकल्पना को साकार किए बिना आकार नहीं ले सकता। एक ऐसा समाज जिसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की पूर्णता प्राप्त हो।

बेशक बीते दशकों में देश के जन–जन ने अपने काम से भारत की सशक्त छवि बनाई है। इस कारण आजादी के अमृतकाल में अर्थात आने वाले 25 साल में अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं क्योंकि आज भारत का हर नागरिक स्वयं में सफलता की कहानी भी है और उसका वाहक भी। जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जनभागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुट जाते हैं तो उन्हें दुनिया की बड़ी–बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है। आज दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं।

आजादी के 75 वर्षों के बाद जिस शिखर तक हमें पहुंचना चाहिए था, वहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। अमृत काल में हमें पूर्णता तक जाना है। आने वाले 25 साल परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तप–तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड, उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। उम्मीद है कि सौवें साल तक पहुंचने से पहले हम चुनौतियों से निपटने में सफल हो चुके होंगे।

हमें चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना होगा ताकि भारत विकसित देश का रूप ले सके। निश्चित रूप से इन 72 वर्षों में रोटी, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति हुई है लेकिन गरीबी उन्मूलन, कानून एवं न्याय व्यवस्था, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर अभी बहुत काम करना बाकी है। भारत की नियति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत बनने की है। इस महान यज्ञ में 135 करोड़ भारतीय 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ अपना योगदान देकर भारत को सफलता का पर्याय बनने में मदद कर सकते हैं जहां न निर्धनता हो, न निरक्षता और न भय और न ही असुरक्षा। निस्संदेह, अगर हम मिल–जुलकर प्रयास करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आखिर कब तक हम विकासशील देश ही कहलाते रहेंगे? हमें विकास को पहला एजेंडा बनाकर विकसित देश बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए तथा विकास में सभी जातियों, धर्मों, समुदायों और वर्ग के लोगों की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

# वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

देश में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्त्वावधान में शुक्रवार, 16 दिसम्बर 2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरु करने से पहले संस्थान की ओर से श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी ने नराकास, नौएडा की सदस्य सचिव और सभी प्रतियोगियों का स्वागत किया। उन्होंने संस्थान द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में किए जा रहे कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी और हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में सफलता के लिए सभी प्रतियोगियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। तदुपरांत, नराकास, नौएडा की सदस्य सचिव सुश्री प्रज्ञा कांडपाल ने नराकास, नौएडा के विभिन्न कार्यकलापों के साथ–साथ इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया और नराकास, नौएडा के कार्यकलापों में सक्रिय सहयोग देने के लिए संस्थान के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विभिन्न कार्यालयों से आए कार्मिकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें राजभाषा के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए और अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिंदी में करना चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान नराकास, नौएडा के तत्वावधान में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी और सभी प्रतियोगियों से अधिकाधिक काम हिंदी में करने का अनुरोध किया। उसके बाद स्वागताध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी। इसमें प्रतियोगियों को निबंध लिखने के लिए दो विकल्प दिए गए थे–i) अमृत काल में भारत के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ, और ii) हिंदी का वैश्वीकरण। इस प्रतियोगिता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के 16 सदस्य कार्यालयों से कुल 36 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

**वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान** श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित हैः

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।


# वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइटः www.vvgnli.gov.in